लेखक की कलम से...

मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा दो वर्षीय बी. एड. के पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति में काफी उपयुक्त परिवर्तन किए गए हैं। हिन्दी माध्यम के बी. एड. छात्रों की परेशानी देखकर यह निश्चय किया कि अध्ययन में आने वाली उनकी समस्याओं को दूर कर सकें। यह पुस्तक मुंबई विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम पर आधारित सभी घटकों से परिपूर्ण है। प्रसिद्ध लेखकों के सन्दर्भ ग्रंथों से चुनकर यह 'सफलता का बहुास्त्र' तैयार किया गया है। इससे छात्रों की कई पुस्तकें पढ़ने एवं नोट्स तैयार करने की समस्या कम होगी और समय की बचत होगी।

यह पुस्तक मुंबई युनिवर्सिटी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। साथ ही यह अन्य विश्वविद्यालय के बी.एड. छात्रों के लिए उपयुक्त है। इस नोट्स में सभी प्रश्नों के उत्तर सहज एवं सरल भाषा शैली में प्रस्तुत किए गए हैं, ताकि छात्रों को समझने और लिखने में बेहद आसानी हो।

इस पुस्तक के लेखन कार्य हेतु जिन संदर्भ ग्रंथों का आधार लिया गया है उन सभी लेखकों के प्रति दिल से आभार व्यक्त करते हैं। इन संदर्भ ग्रंथों एवं स्वयं के अध्ययन-अध्यापन अनुभवों के आधार पर संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करने का एक छोटा-सा प्रयास है। निश्चय ही इस छोटे-से प्रयास से विगत वर्षों की भांति छात्र कम समय में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर पूर्ण रूप से सफल हो सकते हैं।

अ. क्र.	Unit	पृष्ठ क्र.
Unit - 1	भारतीय कक्षा / संदर्भ में बहुभाषिकता तथा उनका उपयोजन (Multilingualism & Its Implication in the Indian classroom/context)	7-17
	A) भारत के संदर्भ में बहुभाषिकता (Multilingualism in the Indian context)	
	B) भारतीय कक्षाओं में सामाजिक-भाषिक जागरूकता (Developing socio-linguistic awareness in the Indian classrooms)	
	C) भाषा तथा शिक्षा नीतियों की समीक्षा / आलोचना (Critiquing state policies of language & Education)	
Unit - 2	भाषा अभिग्रहण को स्पष्ट करनेवाले सिद्धांत (Theories to explain Language Acquisition)	18-27
	A) भाषा अभिग्रहण का अनिरंतरता सिद्धांत (The Discontinuity Theory)	
	B) घटाव का सिद्धांत (The Deficit Theory)	
	C) भाषा अभिग्रहण के सिद्धांत - स्किनर एवं चोम्स्की (Theories of language - Skinner & Chomsky)	
Unit - 3	विद्याशाखा के अंतर्गत भाषा व्यवहार भाग-1 (Transacting Language across Disciplines Part-1)	28-40
	A) कक्षा में मौखिक भाषा का महत्त्व, चर्चा की संरचना एवं महत्त्वपूर्ण भूमिका (Importance of oral language in the classroom - The significant role of discourse & structure in the classroom)	
	B) भाषा अध्ययन में अध्ययनकर्ता का समावेश - प्रश्नों का महत्त्व, प्रकार एवं चर्चा आधारित अध्ययन (Engaging learners in language learning - Importance of questioning, types of questions & discussion based learning)	
	C) विद्याशाखा अंतर्गत भाषा विकास में शिक्षक की भूमिका (Teacher's role in promoting discipline Language Across Curriculum)	

Unit - 4 विषयवस्तु के अंतर्गत भाषा व्यवहार भाग-2 (Transacting Language across disciplines Part-2)

A) भाषा संरचना एवं विषय-वस्तु का स्वरूप पहचानना- (वर्णनात्मक / कथनात्मक, अंतर्क्रियात्मक / चिंतनशील) भाषा आरेख, विषय-वस्तु संरचना) (Identifying Nature of Texts & Language Structures- (Expository vs Narrative, Transactional vs Reflective) language schema, Text structures

B) वाचन में वृद्धि करने की विधियाँ - बारीकी से वाचन, सरसरी निगाह से वाचन, स्तंभवाचन, संकेताक्षर वाचन (Techniques to enhance reading comprehension - Scanning, Skimming, Columnar reading, key word reading)

C) विभिन्न लेखन कौशलों का विकास करना, छात्रों के लेखन का विश्लेषण करना (To develope different types of writing skills, analyzing children's writing)

❑❑❑

भारतीय कक्षा / संदर्भ में बहुभाषिकता तथा उनका उपयोजन
(Multilingualism and its implication in the Indian classroom / context)

Unit 2 Unit-2(a)

A) भारत के संदर्भ में बहुभाषिकता
(Multilingualism in the Indian context)

class Test

सामान्य तौर पर बहुभाषिकता का अर्थ होता है संप्रेषण के लिए अनेक भाषाओं का उपयोग करना। बहुभाषिकता इस शब्द में दो शब्द समाये हुए हैं 'बहु' यानी अनेक तथा 'भाषिकता' यानी भाषा का उपयोग करना।

परिभाषा बहुभाषिकता

1) व्यक्ति के द्वारा अथवा सामूहिक तौर पर वार्तालाप करते समय दो या दो से अधिक भाषाओं का उपयोग किया जाता है तब बहुभाषिकता कहलाती है।

2) यदि कोई व्यक्ति अनेक भाषाओं को जानता हो या बोलते समय उपयोग करता हो तो उसे बहुभाषी कहते हैं।

"Multilingualism is the ability of an individual speaker or a community of speakers to communicate effectively in more than one language."

भारत जैसे बहुभाषी राष्ट्र में समाज में अनेक भाषाओं का प्रभाव सभी भाषाओं पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में किसी भी भाषा का मूल स्वरूप स्थिर नहीं रहता। व्यक्ति अन्य भाषायी समूह या व्यक्ति के साथ बात करते समय जो भाषा दोनों को अवगत है उसी का प्रयोग करता है। वर्तमान युग में जहां सभी देश करीब आ रहे हैं वहां बहुभाषाओं का होना साधारण बात हो चुकी है। भारत तो एकमेव राष्ट्र है जहां कई भाषाएं एक साथ बोली जाती हैं।

भारत में बहुभाषिकता

भारत देश बहुभाषिकता का सर्वोत्तम उदाहरण है। किसी भी शहर या प्रांत में भी एक भाषा नहीं बोली जाती। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक अनगिनत बोली एवं भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। कहीं-कहीं तो एक ही भाषा को तोड़-मरोड़कर अनेक प्रकार से उपयोग किया जाता है। थोड़ी दूरी पर ही भाषा बदलती हुई दिखायी देती है। उत्तर में अधिकतर हिन्दी तथा उसकी उपभाषाएं एवं दक्षिण में द्रविड़ भाषा समूह जैसे- तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाओं का प्रयोग किया जाता है।

बहुभाषिकता की उपयोगिता

- जो लोग विविध भाषाओं का उपयोग करते हैं उनके भाषाज्ञान की योग्यता पर इसका प्रभाव पड़ता है।
- यदि कोई अपनी भाषा के अलावा अन्य भाषा सीखता है तो वह दूसरों के बारे में जानता है और दूसरे उसे; इस प्रकार उसके जीवन में भाषा उपयोग तथा संकलन का लाभ होता है।
- भाषाज्ञान से व्यक्ति दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर व्यवहार करने की योग्यता प्राप्त करता है। इसके कारण किसी भी उम्र के व्यक्ति के साथ वह दक्षतापूर्वक व्यवहार कर सकता है।
- भाषाज्ञान के कारण अन्य देशों के लोग बहुभाषायी व्यक्ति को समझते हैं तथा प्रोत्साहित करते हैं।
- बहुभाषा के ज्ञान से व्यक्ति की सीमा विस्तृत होती है, अंतर्गत एवं बाह्य रूप से वह निरंतर स्वयं तथा दूसरों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाता है। वह अन्य भाषी लोगों की विचारधारा, तुलनात्मक अंतर एवं सांस्कृतिक संकल्पना का आकलन करने योग्य होता है।
- सामाजिक तथा व्यावसायिक लाभ के लिए बहुभाषिक होना अत्यंत आवश्यक है।
- छात्रों में बहुभाषिकता होने से उन्हें करियर एवं व्यावसायिक शिक्षा के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। संप्रेषण के कारण उनकी योग्यता दूसरों को ज्ञात होती है।

भारतीय बहुभाषिकता के कारण (Causes of Indian Multilingualism)

भारतीय बहुभाषिकता के पीछे कई कारण हैं। प्राचीन काल से भारत पर कई भाषाओं का प्रभुत्व रहा है।

• अरब, मुगल आदि शासकों का भारत पर आक्रमण हुआ; वे सत्ताधारी बने तथा उनके राज्य में अरबी, उर्दू भाषाओं का प्रवेश भारत में हुआ।

• आर्य, द्रविड़ आदि समूह अक्सर यहां - वहां स्थलांतर करते थे। उनके साथ उनकी भाषा भी भारत का अंग बन गयी।

• अंग्रेज, डच, फ्रेंच तथा पुर्तगाली सत्ताएं व्यापार के बहाने भारत आयी तथा यहां अपने उपनिवेश बनाए इस तरह अंग्रेजी तथा फ्रेंच जैसी विदेशी भाषाओं का प्रचार यहां हुआ। अंग्रेजों ने डेढ़ सौ वर्ष भारत पर शासन किया इसलिए अंग्रेजी का प्रभाव प्रत्येक भारतीय भाषा पर सबसे अधिक दिखायी देता है।

• सामाजिक पुनर्रचना एवं राजनैतिक परिवर्तन के कारण बहुभाषिकता का विकास हुआ।

• राज्य के बाहर आवागमन, व्यापार एवं निवास की स्वतंत्रता के कारण भी बहुभाषिकता की वृद्धि हुई।

• विदेश गमन या स्थलांतर के कारण आधुनिक युग में अनेक नयी भाषाओं का परिचय हो रहा है।

• भारत में धार्मिक, सांस्कृतिक विविधता के कारण असंख्य भाषाएं, बोलियां तथा उपबोलियां प्रचलित हैं।

• अपनी भाषा का प्रचार एवं विकास का अधिकार संविधान ने दिया है।

• पाठ्यक्रम द्वारा त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया है।

• प्रत्येक राज्य की अपनी स्वतंत्र राजभाषा है।

• इस प्रकार भारत में बहुभाषिकता का लगातार विकास हो रहा है।

भारतीय बहुभाषिकता का स्वरुप एवं व्याप्ति

ब्रिटीश शासन के समय भारत में भाषा का एक विशाल व व्यापक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 365 भाषाएं तथा उपभाषाओं का वर्णन किया। वह सर्वेक्षण जॉर्ज ए. ग्रियरसन द्वारा पहली बार किया। वे भारतीय नागरिक सेवा के सदस्य व भाषा विशारद थे जिन्होंने विएना में आयोजित सातवी अंतरराष्ट्रीय ओरिएन्टल कांग्रेस में प्रतिनिधित्व किया। यह सर्वेक्षण 1894 में प्रारंभ होकर लगातार तीस वर्षों तक औपचारिक रूप से चलता रहा जिसके परिणाम 1928 में घोषित किए गये।

इसके अनुसार भारत में 780 भाषाएं हैं जो अलग-अलग 66 प्रकार की लिपियों में बद्ध है।

अरुणाचल प्रदेश में कुल 90 भाषाएं बोली जाती हैं, अतः यह सबसे संपन्न भाषा वाला राज्य है।

1951 में हुई जनगणना में बोलियों समेत 845 भाषाओं को दर्ज किया गया। इसमें एक लाख से अधिक लोगों द्वारा बोली जानेवाली कुल 60 बोलियां थीं।

1961 की जनगणना में प्रमुख रूप से भाषायी सर्वेक्षण किया गया। जिसके अनुसार भारत में कुल 1652 मातृभाषा है, इनमें 20 ऑस्ट्रियाई, 20 द्रविड़, 98 तिबेतियन तथा 54 इंडो-आर्यन समूह की भाषाएं थीं। वर्तमान समय में भारत के संविधान में 22 प्रमुख भाषाओं का समावेश है तथा 2796 बोलियां तथा उपबोलियां भारत में पायी जाती हैं।

✓भारतीय बहुभाषिकता की विशेषताएं (Characteristics of Multilingualism)

✓स्थानीय स्तर पर बहुभाषिकता (1)

एक से अधिक भाषा का प्रयोग अर्थात बहुभाषिकता कहलाती है। अतः दैनदिन व्यवहार में मातृभाषा तथा अन्य भाषा समूहों के बीच संप्रेषण के लिए उनकी भाषा का ज्ञान होना जरुरी है। भारत में लगभग प्रत्येक व्यक्ति एक से अधिक भाषा बोलता है। साधारणतः हिंदी तथा अंग्रेजी का ज्ञान तो अधिकांश भारतीयों को है।

✓सहायक भाषा का प्रयोग व विकास (2)

भारत जैसे बहुभाषायी देश में प्रत्येक स्थान की दूरी पर भाषा बदलती है। कहां गया है कि "कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी।" अतः व्यापार, क्रय-विक्रय, धार्मिक यात्रा, मिडिया, सामाजिक कार्यक्रम, मार्केट आदि के लिए प्रभावी संप्रेषण तभी होगा जब दो तरफा संप्रेषण के लिए एक सहायक भाषा होगी। आपसी आंतरक्रिया के लिए दोनों व्यक्तियों की एक सामान्य भाषा होती है जिसे दोनों अच्छी प्रकार बोल सकते हैं।

✓ भाषायी विविधता (3)

भाषा की विविधता तथा विशेषता भारतीय बहुभाषिकता की पहचान है। भाषा का प्रयोग करनेवाला व्यक्ति भाषा का परिचय कराता है। कभी-कभी एक व्यक्ति कई भाषाओं का उपयोग करता है तब उसकी मातृभाषा अथवा जिस पर उसका प्रभुत्व है उस भाषा का प्रभाव अन्य भाषा पर दिखायी देता है। इस प्रकार भाषा को नया स्वरुप प्राप्त होकर विविधता का निर्माण होता है।

✓ मातृभाषा का संवर्धन (4)

भारत में प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा के प्रति लगाव तथा अभिमान है। अतः वह अपनी भाषा

सरस्वती पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित

का संवर्धन करता रहता है। किंतु अन्य भाषाओं का तिरस्कार नहीं करता, बल्कि उनसे समायोजन करता है इसलिए भारत में द्विभाषिकता अधिक प्रमाण में दिखती है।

सकारात्मक दृष्टिकोण (5)

बहुभाषिकता के कारण भारत के लोकतंत्र के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का उपयुक्त निर्माण होता है। बहुभाषिक लोग आपसी संप्रेषण द्वारा एकता की स्थापना करते हैं। एक-दूसरे को समझते हैं, दूसरों की भाषा का आदर करते हैं। शिक्षा के लिए भाषा चुनाव की स्वतंत्रता तथा विकल्प प्राप्त होते हैं। इसके कारण सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है।

अल्पसंख्यक भाषा का स्थायित्व (6)

भारत में अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से कुछ भाषाओं को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर भाषाएं बहुत कम जनसंख्या द्वारा बोली जाती हैं। इन्हें अल्पसंख्यक भाषा कहा जाता है। फिर भी इनको समृद्ध तथा जतन करने का कार्य भारतीय करते हैं यह सराहनीय बात है जिससे उनका स्थायित्व कायम है।

B) भारतीय कक्षाओं में सामाजिक-भाषिक जागरुकता

(Developing Socio-Linguistic awareness in the Indian Classrooms)

भारतीय कक्षाओं के भीतर सामाजिक-भाषिक जागरुकता का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य अपेक्षित रखकर ही पाठ्यक्रम में त्रिभाषा सूत्र को लागू किया गया है।

भाषा-विज्ञान

भाषाओं का अध्ययन करनेवाले विज्ञान को भाषा-विज्ञान कहा जाता है। उसी प्रकार स्वर-विज्ञान (Phonology) भाषा-विज्ञान की वह शाखा है जो भाषा के ध्वनि पद्धति का अध्ययन कराती है। फोनेटिक्स अर्थात स्वर विज्ञान जो संप्रेषण, निर्माण, वहन तथा ग्रहण से संबंध रखता है। प्रत्येक भाषा का स्वर विज्ञान पूर्ण या अपूर्ण रूप से अन्य भाषा के स्वर विज्ञान से भिन्न होता है।

प्रत्येक भाषा की एक शैली होती है। शैली का अर्थ वक्ता अथवा प्रयोगकर्ता द्वारा विशिष्ट संदर्भ में तथा विशिष्ट उद्देश्य के लिए भाषा प्रयोग की पद्धति अथवा तरीका होता है। यह औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रकार की होती है। परिस्थिति तथा विषय के अनुसार व्यक्ति भाषाशैली का प्रयोग करता है। बोलने की तथा लिखने की शैली में भी अंतर होता है। भाषाशैली द्वारा व्यक्ति के भाषाज्ञान, साक्षरता, वातावरण, संस्कार, व्यवहार आदि बातों का पता चल जाता है।

सामाजिक भाषा-विज्ञान (Socio-linguistics)

सामाजिक भाषा विज्ञान इस बात का अध्ययन करता है कि किस प्रकार भाषा तथा सामाजिक वर्ग, उम्र, लिंग व शिक्षा का स्तर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यह विज्ञान भाषा तथा समाज के बीच के परस्पर संबंधों की जांच करता है तथा विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के तरीकों का अध्ययन करता है।

सामाजिक भाषा विज्ञान के अनुसार अक्सर व्यक्ति के भाषण के दौरान उसकी उपभाषा का बार-बार उपयोग करता है। इससे वक्ता की उम्र, लिंग तथा सामाजिक श्रेणी की वास्तविकता का पता चलता है।

परिभाषा

"भाषा तथा समाज के परस्पर संबंधों का अध्ययन करनेवाला विज्ञान सामाजिक-भाषा विज्ञान कहलाता है।"

"Socio-linguistics is a branch of linguistics that deals with the exploration of relation between language & society."

भाषा के विभिन्न पहलू होते हैं। इनके आधार पर सामाजिक-भाषा विज्ञान का निर्माण हुआ है। समाज के परिवर्तन अनुसार भाषा भी परिवर्तित होती रहती है।

भाषा में अनेक भाषिक समूह पाये जाते हैं। एक ही प्रकार की भाषा बोलनेवाले व्यक्तियों का समूह समान भाषिक समूह कहलाता हैं। अन्य भाषा समूहों से प्रत्येक समूह की भाषा में भिन्नता होती है।

'बोली' यह भाषा का उच्चारित ध्वनि रूप है। एक भाषा के अंतर्गत भी अनेक बोलियां पायी जाती हैं। भौगोलिक विविधता के साथ-साथ प्रत्येक प्रांत की बोलियों में भी भिन्नता होती है। जैसे- हिंदी की बोलियां मैथिली, अवधि, ब्रजभाषा, भोजपुरी तथा मराठी की बोलियां कोंकणी, वऱ्हाडी, आगरी, मालवणी आदि है।

किसी भी भाषा के अंतर्गत अनेक शब्द होते हैं। इनका प्रयोग संदर्भित विद्याशाखा के अनुरूप किया जाता है। जैसे- 'रेखा' यह शब्द हिंदी में संज्ञा है किंतु गणित में आकृति को संबोधित किया जाता है। इस तह प्रत्येक विद्याशाखा के अनुसार प्रयोग की जानेवाली भाषा या शब्दरचना नियंत्रित तथा व्यवस्थित होती है। उसे परिस्थिति तथा उद्देश्य के अनुसार नियंत्रित किया जाता है।

भारतीय कक्षाओं में सामाजिक-भाषा विज्ञान की जागरूकता निर्माण करना

• यदि छात्र बहुभाषी या द्विभाषी है तो उसकी बुद्धिमत्ता को कम नहीं आंकना चाहिए। इसका प्रमुख आधार छात्र की शैक्षणिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत कुशलता होती है।

• कक्षा अध्यापन में प्रत्येक भाषिक छात्र को समान महत्त्व दिया जाए।

• **अपनी भाषा के साथ-साथ अन्य भाषाओं के प्रति आदर की भावना छात्र में निर्माण की जाए।**

• अध्यापक को स्वयं प्रत्येक छात्र की भाषा का ज्ञान प्राप्त कर बहुभाषिक होना चाहिए।

• भाषा के विषय में व्यापक एवं उदार दृष्टिकोण का विकास कक्षा अध्यापन द्वारा किया जाए।

• प्रत्येक भाषा का अपना महत्त्व, अपनी संस्कृति है अतः राष्ट्रीय योगदान का भी परिचय छात्रों को दिया जाए।

• छात्रों की बुद्धिमत्ता का उपयोग समीक्षात्मक व सृजनात्मक अध्ययन के लिए किया जाए।

• भाषा के कौशल- श्रवण, भाषण, वाचन तथा लेखन को उच्च क्षमता तक प्राप्त कराया जाए।

• **छात्रों को सामाजिक भाषा विज्ञान के मुद्दों पर सहयोगात्मक अध्ययन द्वारा लेखन के लिए प्रेरित किया जाए।**

• छात्र के अंदर निम्न भाषायी योग्यताओं का निर्माण किया जाए-

- लोगों तथा समूह के बीच बोलने की योग्यता।
- समूह में कार्य के समय उचित संप्रेषण की योग्यता।
- अभिव्यक्ति के लिए पहल करने की योग्यता।
- कक्षा अध्यापन द्वारा सीखी गयी बातों को समाज में क्रियान्वित (Apply) करना।

essay unit 2 (C)

Unit 2 C) भाषा तथा शिक्षा नीतियों की समीक्षा/आलोचना

(Critiquing State Policies on Language & Education)

* भाषा नीति : "भाषा के उपयोग से संदर्भित कोई भी निर्णय अथवा सिद्धांत को किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जाना अर्थात भाषा नीति कहलाती है।"

भाषा नीति की रचना प्रमुख तौर पर अनेक भाषाओं का विकास करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में उसका उपयोग करने के उद्देश्य से की गयी है जैसे- शिक्षा, व्यवसाय, प्रशासन, मीडिया आदि।

कुछ घटक भाषा नीति को प्रभावित करते हैं, जैसे- सामाजिक भाषा विज्ञान का विन्यास, भाषा बोलनेवाले का रवैया या व्यवहार, राजनैतिक व्यवस्था का सामर्थ्य आदि। फॅसोल्ड के मतानुसार भाषा नीति रचनात्मक होती है तथा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है।

विविध स्तरों पर भाषा नीति की आवश्यकता-

- प्रांतीय स्तर पर भाषा का उपयोग।
- कार्यालयीन स्तर की भाषा जैसे- कानून, प्रशासन आदि की भाषा के लिए आवश्यक।
- विस्तृत संप्रेषण जैसे- मीडिया के लिए भाषा
- अंतरराष्ट्रीय संप्रेषण के लिए भाषा
- शिक्षा स्तर पर भाषा का उपयोग

इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हमें भाषा का चयन करना होता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उसमें परिवर्तन तथा विकास करना पड़ता है। प्रभावी भाषा नीति के लिए अच्छी भाषा का नियोजन भी महत्त्वपूर्ण होता है।

भाषा तथा शिक्षा में संबंध स्थापित करने के लिए शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना आवश्यक है। भारतीय शिक्षा के विकास का तीन स्तरों में अध्ययन कर सकते हैं।

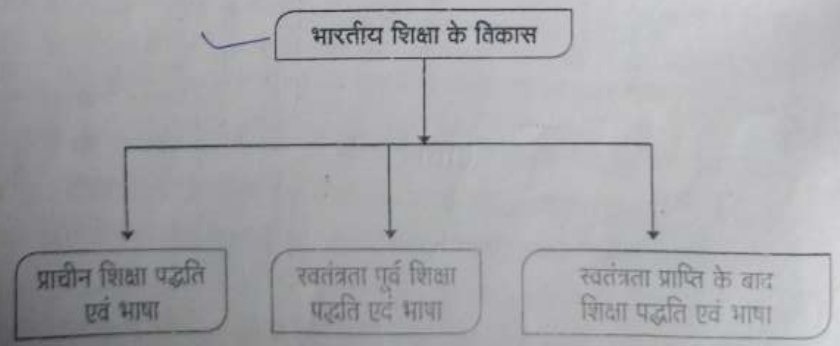

1) प्राचीन शिक्षा पद्धति एवं भाषा

प्राचीन भारत में चतुःवर्ण प्रणाली अस्तित्व में थी जिस पर धर्म की गहरी छाप थी। भारतीय शिक्षा में वैदिक साहित्य का समावेश था। वेद संस्कृत में लिखे होने से अध्यापन की भाषा संस्कृत थी। बालक सात वर्ष के बाद गुरूकुल में रहकर सोलह साल की उम्र तक अध्ययन करता था। वहां गुरू द्वारा वेदमंत्र पठन, व्याकरण, छंद, विज्ञान, दर्शन आदि का अध्ययन करता था। शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी।

शिक्षा केवल कुछ जातियों के लिए ही उपलब्ध थी। उच्च जाति को ही शिक्षा लेने का अधिकार था। अध्यापन में चर्चा, वार्तालाप, कथन, प्रश्नोत्तर आदि पारंपरिक विधियों का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद मौर्य साम्राज्य में शिक्षा में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इस काल में शिक्षा का आधार जाति नहीं; बल्कि अपनी इच्छा तथा रूचि के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला। इस काल में नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई जहां विदेशों से छात्र अध्ययन करने आते थे। विद्याशाखा के साथ-साथ भाषा विज्ञान का अध्ययन छात्र कर रहे थे। गणित तथा तत्कालीन विज्ञान की शिक्षा दी जाने लगी।

उसके पश्चात भारत में मुगलों का आगमन हुआ। मुगल सत्ता के काल में उर्दू, अरबी तथा फारसी भाषाओं का प्रभाव शिक्षा पर दिखायी देने लगा। मदरसों की निर्मिती हुई।

Essay Questions

2) स्वतंत्रता पूर्व काल में शिक्षा पद्धति तथा भाषा

मुगलसत्ता के अंत के साथ ही भारत पर अंग्रेजों सत्ता का वर्चस्व स्थापित हुआ। अठारहवीं सदी के उत्तर कालखंड में अंग्रेजी सत्ता का विस्तार संपूर्ण भारत में हुआ। यहां औद्योगिकरण का प्रारंभ हुआ जिसके लिए शिक्षित मजदूरों की आवश्यकता अंग्रेज सरकार को महसूस हुई। अतः अंग्रेजी माध्यम के स्कूल प्रारंभ हुए।

गहन ज्ञान के कारण पाश्चात्य शिक्षा का भारत में तेजी से विस्तार हुआ। अंग्रेजी भाषा का महत्त्व मेकॉले ने लोगों को समझाया। इसी के साथ अंग्रेजी शिक्षा की नींव भारत में डाली गयी।

इसी बीच फारसी भाषा का प्रभाव दिखायी देने लगा; किंतु केवल अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करनेवाले लोगों को ही नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी ऐसी घोषणा के बाद फिर अंग्रेजी शिक्षा का तेजी से प्रसार होने लगा। इसके बाद मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई आदि स्थानों पर विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। शिक्षा का संपूर्ण प्रबंध केवल अंग्रेजी भाषा में होने लगा। किंतु विलियम जेम्स

में स्थान दिया गया। भाषा ही शिक्षा का मूल आधार है, अतः शिक्षा में भाषा प्रभुत्व पर महत्त्व दिया गया।

अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा (धारा-29)

संविधान की धारा-29 के अनुसार भारतीय अल्पसंख्यक समाज को अपनी भाषा तथा संस्कृति के संवर्धन का अधिकार दिया है।

धार्मिक, भाषिक तथा जातीय आधार पर सरकारी अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश पर रोक नहीं लगायी जा सकती।

अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्था स्थापित करने का अधिकार (धारा-30)

संविधान की धारा-30 के तहत धार्मिक तथा भाषिक आधार पर अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्था की स्थापना करने तथा चलाने का अधिकार दिया है। ऐसी संस्थाओं को सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त होगा; किंतु केवल धार्मिक शिक्षा देने पर इन संस्थाओं पर रोक लगेगी।

❑❑❑

भाषा अभिग्रहण को स्पष्ट करनेवाले सिद्धांत
(Theories to Explain Language Acquisition)

A) भाषा अभिग्रहण का अनिरंतरता सिद्धांत
(The Discontinuity Theory)

भाषा अभिग्रहण अर्थात प्राप्ति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी मातृभाषा का उत्तम वक्ता बनता है। व्यक्ति की भाषिक योग्यता में वृद्धि होने की प्रक्रिया को भाषा अभिग्रहण कहेंगे। भाषा अभिग्रहण के लिए कई वर्षों से अनेक सिद्धांत एवं उपागमों का निर्माण किया गया। इन सिद्धांतों के आधार पर भाषा अभिग्रहण का अध्ययन तथा विश्लेषण किया गया।

यदि व्यक्ति के पास भाषा अभिग्रहण की क्षमता है तो वह अन्य किसी से भी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का संप्रेषण के लिए उत्तम प्रकार से उपयोग करता है, उस प्रक्रिया को भाषा अभिग्रहण कहा जाता है।

परिभाषा - "व्यक्ति की भाषायी क्षमता तथा कुशलता का विकास करने की प्रक्रिया को भाषा अभिग्रहण कहते हैं।"

"Language acquisition is the process by which a person acquire the capacity and ability to perceive and comprehend language as well as to produce word or sentences to communicate with other."

भाषा अभिग्रहण की प्रक्रिया को दो भागों में विभक्त किया है- प्रथम भाषा अभिग्रहण तथा द्वितीय भाषा अभिग्रहण।

प्रथम भाषा अभिग्रहण के अन्तर्गत बालक अपनी मातृभाषा के अक्षर, शब्द आदि का श्रवण तथा उच्चारण करता है। इसी के आधार पर द्वितीय भाषा अभिग्रहण के लिए पूर्वज्ञान को आंका जाता है। द्वितीय भाषा अभिग्रहण में शब्द, वाक्यरचना, व्याकरण, लेखन, संप्रेषण पद्धतियों को

सिखाया जाता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति स्वर विज्ञान, वाक्य संरचना, शब्द संरचना, अर्थ विज्ञान तथा अतिरिक्त शब्दकोश का ज्ञान प्राप्त कर सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करने की क्षमता प्राप्त करता है।

भाषा का अध्ययन करके अनेक अनुसंधानों द्वारा दार्शनिकों ने भाषा अभिग्रहण की विधियों की खोज की। प्राप्त अनुभवों के आधार पर उन्होंने अनेक सिद्धांत स्थापित किए। इव अलबेक ने अपनी 'द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज एण्ड कॉग्निशन' (The orgin of language and cognition) इस बुक में भाषा अभिग्रहण के चार सिद्धांतों का उल्लेख किया है। जिसमें से एक सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत।

निरंतरता का सिद्धांत

भाषा एक जटिल संरचना है, इसकी कोई निश्चित संरचना या आकृतिबंध नहीं है यह इस सिद्धांत की कल्पना है। भाषा का विकास प्राचीन समय से अब तक निरंतर होता आ रहा है। इस प्रकार उसकी अखंडता कायम है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के संप्रेषण में विशेष अतंर नहीं होता। भाषा द्वारा ग्राहक को जिस संदेश का आकलन अपेक्षित है उसके अनुसार दोनों सजीव संप्रेषण करते हैं।

मनुष्य की भांति प्रत्येक प्राणी तथा पक्षी की ध्वनि, आवाज एवं ध्वनि प्रतीकों का उतना ही महत्त्व है। दोनों के संप्रेषण माध्यमों में काफी अंतर है किंतु संप्रेषण की प्रक्रिया दोनों घटकों में समान रूप से होती है। साथ ही मानव की तरह सभी प्राणियों की भाषा में लगातार विकास होता आया है।

इस सिद्धांत के सिफारिशकर्ता संप्रेषण के विकास को ही भाषा विकास का नाम देते हैं। मनुष्य तथा अन्य प्राणियों की बुद्धिमत्ता में बहुत अंतर है। मानव के विकास का प्रमुख कारण उसकी बुद्धिमत्ता ही है। वह केवल ध्वनि या भाषा ही नहीं बल्कि अमूर्त संबोध, संकल्पना, घटनाएं तथा परिस्थितियों को भी पहचानने की विशेष क्षमता रखता है। भाषा की सहायता से उसने अमूर्त घटकों को भी नामांकित किया है। इसी कारण उसकी भाषा का विकास हो पाया है। अर्थात भाषा के विकास में बुद्धिमत्ता अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटक है।

यदि डार्विन की दृष्टि से देखा जाए तो प्राचीन काल में प्राणियों के संप्रेषण के विकास का अर्थ भाषिक क्षमता का विकास है। यह सिद्धांत प्राणियों की विकसित भाषा तथा मनुष्य की भाषा में संबंध स्थापित करता है। इस प्रकार हमारे पूर्वज जो अपनी कल्पना तथा विचारों को चित्र, संबोध,

संकेत, चिन्हों तथा प्रतीकों द्वारा व्यक्त करते थे, उनकी भाषा संबंधी कल्पना का विकास होकर आज भाषा बहुत संपन्न हो चुकी है।

निरंतरता सिद्धांत के बारे में कुछ अनुमान तथा निष्कर्ष

- भाषा का विकास क्रमानुसार हुआ।
- भाषा विकास का प्रारंभ मानव के पूर्वजों में व्याप्त पूर्व संरचना के कारण संभव हुआ।
- मनुष्य प्राणी के अलावा भी अन्य प्राणियों में भाषा की क्षमता है उदाहरणस्वरूप- पंछी, कीटक जैसे अन्य सजीव।
- भाषा की व्याप्ति सभी प्रकार की बुद्धिमत्ताओं में है।
- भाषा को सीखना पड़ता है।
- आज जो भाषा का स्वरूप है उसका समय के अनुसार कई स्तरों पर विकास होता आया।

डार्विन के अनुसार निरंतरता सिद्धांत

- डार्विन के अनुसार भाषा का विकास आदिकाल में ही प्राणियों के संप्रेषण के कारण हुआ। अतः हमारे पूर्वजों के संप्रेषण का एक भाग भाषा है।
- यह सिद्धांत मानव तथा प्राणियों की विकसित संप्रेषण की भाषा में संबंध स्थापित करता है।
- भाषा की निर्मिती तथा परिवर्तन आवश्यकता के कारण हुआ है।
- क्षमता का संबंध डार्विन के उत्क्रांतिवाद से जोड़ा जाता है। अर्थात भाषा का विकास पूर्वजों के द्वारा होता आया है यह सिद्ध होता है।

एलबेक के अनुसार निरंतरता-अनिरंतरता सिद्धांत

- एलबेक के मतानुसार भाषा का उद्गम प्राणियों के संप्रेषण द्वारा हुआ है तथा यह ज्ञान का एक स्वरूप है।
- एलबेक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भाषा का निर्माण शारीरिक अंगों द्वारा हुआ, क्योंकि भाषा की उत्पत्ति से पूर्व व्यक्ति के शरीर द्वारा ही बौद्धिक कार्यों का प्रारंभ हुआ ऐसा

उनका मानना था।

• एलबेक भी डार्विन के उत्क्रांतिवाद का समर्थन करता है। वह भाषा के उपयोग तथा हानि दोनों पहलुओं का विचार करता है।

• वह कहता है कि भाषा के कारण मनुष्य को समायोजन करने में बाधाएं आयी। क्योंकि भाषा के कारण मनुष्य को अपने मस्तिष्क की अधिक आवश्यकता पड़ी तथा इसका परिणाम उसकी शारीरिक गतिशीलता पर हुआ। किंतु उसका यह मानना भी है कि केवल भाषा विकास के कारण ही मनुष्य की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। भाषा के कारण वे एक-दूसरे के करीब आए तथा आपसी सहयोग के कारण प्रभावी रूप से कार्य करता आया। इस प्रकार जीवन में भाषा अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

कोहलर की दृष्टि से निरंतरता सिद्धांत

• कोहलर के मतानुसार मनुष्य तथा अन्य विशिष्ट प्राणियों व पंछियों की भाषा का विकास समान रूप से होता आया। कई पंछी भिन्न प्रकार के गीत गाते हैं तथा मनुष्य भी अलग-अलग प्रकार से स्वरोच्चारण करता है।

• बालक रोना, तुतलाना, चिल्लाना आदि के द्वारा प्रभाव है। यह अनुभव से सीखता है। उसी प्रकार पक्षी भय, खुंशी, दूर जाना जैसी स्थितियों में अलग तरह के गीत तथा ध्वनि उत्पन्न करता है। प्रत्येक ध्वनि तथा गीत का विशेष अर्थ व संकेत होता है।

• कोहलर ने इस प्रकार पक्षी तथा मनुष्य के भाषा विकास को समान बताया है।

पिंकर के मतानुसार निरंतरता सिद्धांत

• निरंतरता के सिद्धांत को पिंकर ने भी स्वीकार किया। उनके मतानुसार उत्क्रांतिवाद के सिद्धांत द्वारा भाषा विकास की संपूर्ण कल्पना का आकलन होता है।

• भाषा उत्क्रांतिवाद की उपज है।

• भाषा का परिणाम उत्क्रांति के अंतर्गत समायोजन पर भी हुआ।

उपर्युक्त आधार पर हम यह कह सकते हैं-

• मनुष्य की भाषा तथा संप्रेषण पद्धति अन्य सभी प्राणियों से भिन्न, अद्‌भुत तथा उल्लेखनीय है।

• भाषा एक जटिल संरचना है वह प्राणियों द्वारा उत्पन्न न होकर अनेक घटकों के प्रभाव का परिणाम है।

• शारीरिक परिवर्तन के कारण मनुष्य में बोलने की योग्यता का विकास हुआ।

अनिरंतरता का सिद्धांत

• निरंतरता सिद्धांत के पूर्णरूप से विरुद्ध विचारधारा अर्थात अनिरंतरता का सिद्धांत है। इसके मतानुसार मनुष्य के साथ अन्य प्राणियों के संप्रेषण की तुलना असंभव है।

• भाषा मनुष्य की विशेषता है, यही मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग रखती है।

• भाषा का विकास उत्क्रांति के साथ तुरंत हुआ।

• भाषा एक जटिल संकल्पना है तथा वह प्राणियों द्वारा उत्पन्न नहीं हुई।

• मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के संप्रेषण में काफी हद तक अंतर होता है।

अनिरंतरता सिद्धांत के अनुमान तथा निष्कर्ष

• अन्य प्राणियों में मनुष्य की भांति भाषायी योग्यता नहीं होती।

• मनुष्य के विकास में भाषा उसे उपहार के स्वरूप में अचानक प्राप्त हुई।

• भाषायी क्षमता तथा अन्य क्षमताओं में भिन्नता पायी जाती है।

• भाषा विकास के लिए बुद्धिमत्ता उपयुक्त होती है।

• भाषा का विकास कैसे और कब हुआ यह साबित करने की कोई पद्धति नहीं है।

• भाषा जटिल है यह नहीं कह सकते, क्योंकि यह एक योग्यता है जो शारीरिक परिपक्वता के साथ व्यक्ति में आती है।

unit 3 (C)

B) घटाव का सिद्धांत (The Deficit Theory)

घटाव अथवा कमी का सिद्धांत प्रमुख रूप से इस परिकल्पना पर आधारित है कि जो छात्र मानदंड अथवा कसौटियों से भिन्न हैं उन्हें अक्षम समझकर शिक्षण प्रक्रिया द्वारा उनकी कमियों को पूरा किया जाए, ताकि वे भी सामान्य कसौटी पर सफल होकर अपनी कमियों पर मात कर स्वयं

का विकास कर सकें।

हम देखते हैं कि आर्थिक रूप से संपन्न तथा गरीब बच्चों की भाषा में अंतर होता है। यह अंतर उनके स्वर विज्ञान, शैली, बात करने का ढंग तथा संप्रेषण पद्धति में होता है; जिसका प्रमुख कारण परिवार तथा समाज का प्रभाव होता है। आर्थिक रूप से वंचित छात्र स्कूल में उतने सफल नहीं होते जितने मध्यम तथा उच्चवर्गीय छात्र हो सकते हैं।

यदि अध्यापन तथा स्कूल द्वारा यह खाई पाटने का भरसक प्रयास किया जाए तो अवश्य अध्ययन अक्षम छात्र भी वह स्तर हासिल कर सकते हैं। इसके लिए अध्यापक को इन छात्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा।

घटाव सिद्धांत की संकल्पना का निर्माण सबसे पहले स्कैझमैन डिटमर तथा स्ट्रॉझमैन ने किया। उनके मतानुसार कुछ विशिष्ट सामाजिक समूह की भाषायी क्षमता अपूर्ण होती है। निम्न स्तर के लोगों की भाषा अस्पष्ट होती है। जिसके कारण उनके कहने का अर्थ अच्छी तरह समझ नहीं पाते। इस कथन पर एलर द्वारा गहन अध्ययन तथा अनुसंधान किया गया।

एलर रिबेला जी इनके 'जॉनी कान्ट टॉक आइदर, द पर्सेप्शन ऑफ द डेफीशिट थिअरी इन क्लासरूम' इस आर्टिकल में घटाव के सिद्धांत की जानकारी दी गई जो सन् 1960 में प्रसारित हुआ।

- **एलर के मतानुसार कुछ परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण छात्र का स्कूल में फेल** होने का प्रमाण अधिक होता है, इसका स्पष्टीकरण घटाव सिद्धांत में दिया गया है।
- ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में रहनेवाले छात्र गरीब, सामाजिक रूप से पिछड़े अथवा दुर्बल परिवार से होते हैं जिनमें शब्द संपदा का अभाव होता है तथा स्कूल में प्रवेश के समय आवश्यक क्षमताओं से अपूर्ण होते हैं।
- जो छात्र सामाजिक, आर्थिक रूप से दुर्बल परिवेश से स्कूल में प्रवेश लेते हैं उनमें शाब्दिक प्रेरणा की कमी होती है। भाषा का उचित स्रोत न होने से उनका भाषा पर प्रभुत्व नहीं होता। अतः अध्यापक ऐसे छात्रों को अकुशल या अक्षम (Deficient) मानते हैं। शिक्षक की कसौटी के अनुसार उनकी भाषा क्षमता नहीं होती है। वह छात्र अपनी कमी के कारण शिक्षित विशेषज्ञ अथवा कुशल व्यक्ति के सामने शांत रहता है।
- 1970 में जब एलर का सिद्धांत पूर्ण रूप से प्रतिपादित हुआ तब यह तथ्य सामने आया कि बालक को उसकी मातृभाषा में संप्रेषण का अवसर दिया जाए तो वह अपनी क्षमता तथा कुशलता दिखा सकता है; क्योंकि अपनी भाषा पर उसका नियंत्रण तथा प्रभुत्व होता है। अध्यापक पढ़ाते समय छात्रों में प्रत्येक भाषा को समान मानने की सोच को विकसित करे। यदि छात्र के पास ज्ञान

है तो वह किसी भी भाषा में व्यक्त करे, उसे प्रोत्साहन दिया जाए। इसके कारण उसके आत्मविश्वास एवं रुचि का विकास होगा।

• उसके बाद एलर ने अधिक अध्ययन द्वारा यह बताया कि स्कूल में आनेवाले प्रत्येक छात्र में भाषायी क्षमता होती है किंतु भाषिक भिन्नता तथा सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी क्षमता प्रदर्शित करने में संकोच करते हैं। उन्हें अपूर्ण या अक्षम माना जाता है जबकि उनमें उच्च भाषायी क्षमता होती है।

unit 3(a)

c) भाषा अभिग्रहण के सिद्धांत - स्किनर व चोम्स्की

Unit 3 (b) (a)

(Theories of Language - Skinner & Chomsky)

स्किनर का भाषा अभिग्रहण का पर्यावरणीय सिद्धांत (Environmental Theory of Language Acquisition by skinner)

बी.एफ. स्किनर ने भाषा अभिग्रहण तथा विकास को शिक्षित व्यवहार बताया है। वर्तनवादी विचारकों के अनुसार हम संबंधित घटनाओं द्वारा सीखते हैं। साथ ही हम प्रशंसा, पुरस्कार तथा दंड के कारण सीखते हैं।

व्यवहारवाद अधिगम का दूसरा साधन निरीक्षण तथा अनुकरण है। बालक आसपास की परिस्थितियों तथा घटनाओं का निरीक्षण करके अनुकरण करता है। इस प्रकार वह सीखता है।

भाषा अभिग्रहण के लिए भी यही प्रक्रिया लागू होती है। बालक अपने बड़ों द्वारा जो शब्द, वाक्य जिस विशिष्ट भाषा में सुनता है उसका अनुकरण करता है। उसके प्रत्येक ध्वनि तथा उच्चारण पर उसे बड़ों द्वारा प्रोत्साहन मिलता है जिसके कारण वह संप्रेषण के लिए अधिक प्रयास करता है।

स्किनर एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। उनके मतानुसार भाषा अभिग्रहण पर्यावरण पर निर्भर होता है। जिसे अनुकरण, साहचर्य तथा प्रबलन (reinforcement) द्वारा सीखा जाता है।

स्किनर के सिद्धांत के कुछ पहलू

• बालक प्रत्येक ध्वनि का श्रवण करने के बाद उसका संबंध किसी कृति, घटना या वस्तु से जोड़कर अर्थ समझता है, इसे ही साहचर्य कहते हैं।

• शब्द तथा वाक्य बोलना वह बड़ों के अनुकरण से सीखता है।

• प्रारंभ में वह त्रुटियां करता है, निरर्थक शब्द या वाक्य बोलता है किंतु अभ्यास द्वारा भाषा सीखता है।

• शब्द एवं वाक्यों के दोहराने तथा प्रोत्साहन के कारण भाषा अभिग्रहण होता है।

• स्किनर के अनुसार बालक 'रिक्त घड़ा' होता है उसके भीतर भाषा भरनी होती है। अतः जो हम उसे सिखाते हैं वह सीखता है यानि अपने अंदर अभिग्रहण करता है।

• भाषा अभिग्रहण एक बौद्धिक प्रक्रिया है।

• बालक त्रुटियों से सीखता है। वह बार-बार प्रयास करता है, जितनी त्रुटियां होती हैं उन्हें सुधारकर अभ्यास द्वारा सीखता है। भाषा में वह बड़ों की प्रेरणा, जैसे- उसके बोलने पर बड़ों द्वारा जो भी हास्य, स्वीकृति आदि प्रतिक्रिया मिलती है उसके द्वारा उसका विकास होता है।

• स्किनर के मतानुसार बालक को दिए जानेवाले शाब्दिक प्रबलन तथा दूसरों का अनुकरण इन दो घटकों का भाषा अभिग्रहण में महत्त्व है।

इस प्रकार बालक अथवा व्यक्ति का भाषा विकास पर्यावरण तथा परिस्थिति में होता है।

unit-3(b)

चोम्स्की का भाषा अभिग्रहण का जैविक सिद्धांत

(Biological Theory of Language Acquisition by Chomsky)

नोम चोम्स्की (Noam Chomsky) बीसवीं सदी के प्रमुख भाषा वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं। वे निरंतरता सिद्धांत के समर्थक हैं। व्याकरण में 'ट्रान्सफॉर्मेटिव जेनरेटिव ग्रामर' (Transformative Generative Grammar) के रुप में उन्होंने अमूल्य योगदान दिया है।

• चोम्स्की के अनुसार बालक में भाषा अभिग्रहण की क्षमता जन्मजात होती है।

• बालक जिस भाषा संरचना का प्रयोग करता है वह प्रारंभ में ही उसमें निर्माण करनी होती है।

• अनुकरण तथा प्रबलन भाषा अधिगम के लिए आवश्यक घटक है किंतु केवल इन दो घटकों से भाषा अधिगम संभव नहीं होता।

• उन्होंने भाषा अभिग्रहण उपकरण (Language Acquisition Device) की संकल्पना स्पष्ट की।

• इस संकल्पना के अनुसार बालक में भाषा अभिग्रहण का उपकरण (LAD) होता है अर्थात भाषा के मूलतत्व, व्याकरण तथा रचना का संबोध उसमें पहले से ही होता है।

• केवल शब्द ज्ञान प्राप्त कर वह इन संबोधों का उपयोग करता है।

• भाषा केवल अनुकरण से नहीं सीखी जाती। यदि वड़े गलत या अयोग्य भाषा का प्रयोग करते हो तो उनका अनुकरण करना भी अयोग्य होगा।

• अतः भाषा एक जटिल संकल्पना है। वालक 5 वर्ष की उम्र के बाद प्रभावी रूप से अपनी मातृभाषा बोलने लगता है।

• केवल उसे संज्ञा, स्वर, ध्वनि आदि व्याकरण के ज्ञान से सहसंबंध जोड़ना होता है इसे चोम्स्की 'हार्डवेअर' कहते हैं।

• इसके बाद वह अमूर्त भाषा भी समझ सकता है, यही बालक के भाषा ज्ञान की वास्तविक क्षमता होती है।

चोम्स्की की भाषा अधिग्रहण उपकरण (LAD) संकल्पना

• LAD बालक के मस्तिष्क में स्थित हार्डवेयर है। इसके उपयोग से वह भाषा सीखता है। वह व्याकरण तथा रचना का आकलन कर अद्‌भुत भाषायी क्षमता प्राप्त करता है।

• LAD सैद्धांतिक संकल्पना है। यह कोई मस्तिष्क का भाग नहीं जो शुरू होते ही बालक भाषा सीख लेगा बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो निरंतर मस्तिष्क के भीतर चलती रहती है।

• प्रत्येक बालक में व्याप्त LAD में कुछ मूल नियम होते हैं जो अन्य भाषा में बताए जाने पर भी बालक समझता है। उसे केवल शब्दों का अर्थ समझना होता है।

• चोम्स्की की LAD संकल्पना के कारण वैश्विक व्याकरण (Universal Grammar) सिद्धांत का निर्माण हुआ।

• उसके मतानुसार बालक बोलना सीखते समय वाक्य रचना में त्रुटि नहीं करता।

• वह भाषा की S+O+V (Subject + Object + Verb) अर्थात कर्ता, कर्म, क्रिया की संरचना को समझता है।

चोम्स्की की वैश्विक व्याकरण संकल्पना

(Concept of Universal Grammar by Chomsky)

• चोम्स्की ने अध्ययन द्वारा यह अनुभव किया कि भाषा की जटिल क्रियाओं को बालक सरलता से आत्मसात करता है; क्योंकि उसके अंदर भाषा का जन्मजात ज्ञान होता है। यह ज्ञान उसके व्याकरण का विकास करता है। अतः जन्मजात बौद्धिक योग्यता के आधार पर बालक भाषा अभिग्रहण करता है।

• सभी भाषाओं में एक विशेष संरचना होती है। विश्वभर की लगभग छह हजार भाषाओं का व्याकरण अलग होगा, फिर भी भाषा के मूल सिद्धांत व नियम समान हैं। इसे ही चोम्स्की ने वैश्विक व्याकरण का नाम दिया। वैश्विक व्याकरण अर्थात विश्व के प्रत्येक व्यक्ति में जन्मजात भाषा योग्यता जो उसके मस्तिष्क में होती है। अतः चोम्स्की बालक की जन्मजात भाषा क्षमता को भाषा अभिग्रहण में महत्त्व देता है। किंतु स्किनर इसका विरोध करता है। वह व्यवहारवादी होने के कारण क्रियात्मक आंतरक्रिया को महत्त्व देता है।

❑❑❑

Unit 3

विद्याशाखा के अंतर्गत भाषा व्यवहार भाग-1
(Transacting Language Across Discipline)

A) कक्षा में मौखिक भाषा का महत्त्व, चर्चा की संरचना एवं महत्त्वपूर्ण भूमिका
(Importance of oral language in the classroom, the significant role of discourse & structure in the classroom)

मौखिक भाषा छात्र के अध्ययन की नींव है। कक्षा-अध्ययन मौखिक भाषा पर ही निर्भर होता है। साक्षरता, अधिगम तथा भाषा का कुशलतापूर्वक उपयोग छात्र की सृजनात्मक शक्ति बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं। छात्र की भाषा सीखने का प्रयास करते हैं। शिक्षक का दायित्व है कि भाषा कौशल को कक्षा अध्यापन में अधिक सरल बनाए। उसी तरह मौखिक भाषा विकास के लिए घर पर सहायक वातावरण का निर्माण करना प्रत्येक अभिभावक की जिम्मेदारी है।

मौखिक भाषा - यह भाषा की एक पद्धति है जिसमें शब्दों के ध्वनिरूप द्वारा अर्थात उच्चारण द्वारा व्यक्ति अपना ज्ञान, कल्पना एवं भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। मोट्स (Moats) के अनुसार मौखिक भाषा के पांच अंग हैं-

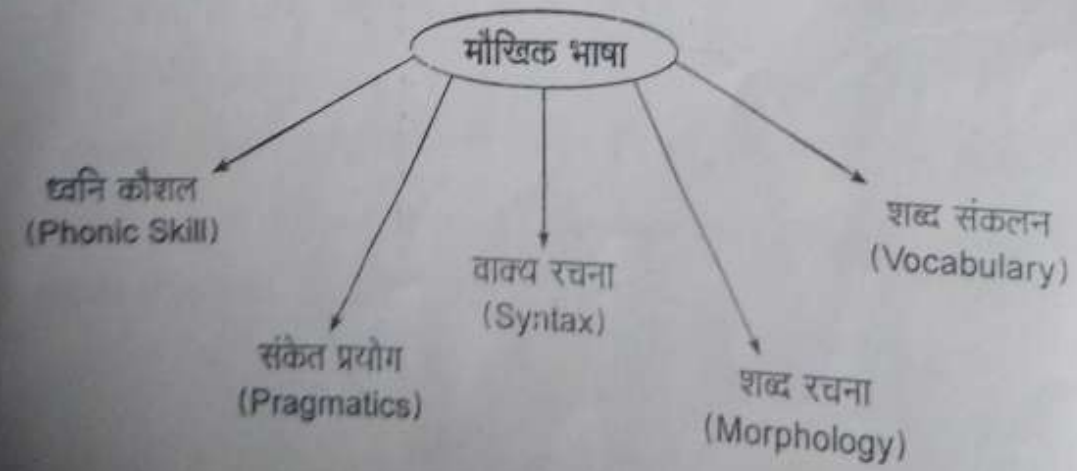

उपर्युक्त अंगों का प्रयोग करते हुए शाब्दिक आंतरक्रिया द्वारा संप्रेषण होता है।

• **ध्वनि कौशल** (Phonic Skill)

बालक को भाषा के ध्वन्यात्मक रूप का ज्ञान आवश्यक है। उसे योग्य उच्चारण तथा उससे प्राप्त अर्थ ज्ञात होना चाहिए। यदि बालक को ध्वनि की जानकारी है तो उसमें ध्वन्यात्मक कुशलता है ऐसा माना जाता है।

• **संकेत प्रयोग** (Pragmatics)

छात्र की भाषा कुशलता के अंतर्गत उसकी भाषिक व्यवहार की क्षमता तथा उपयोग करने का कौशल समाविष्ट है। कब, कहां, किन ध्वनि संकेतों का प्रयोग करना है यह जानकारी शिक्षक द्वारा दी जानी चाहिए।

• **वाक्यरचना** (Syntax)

दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को, जिसका पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहते हैं उदाहरण स्वरूप 'सत्य की विजय होती है।' यह वाक्य है क्योंकि इसका पूरा अर्थ निकलता है किन्तु 'सत्य की विजय होती' वाक्य नहीं है क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकलता। इस प्रकार छात्र को अर्थपूर्ण वाक्यरचना करने का ज्ञान होना जरूरी है तथा शब्द व उनके प्रकारों को उचित क्रम में लगाना जरूरी है।

• **शब्द रचना** (Morphology)

शब्दों की रचना भी भाषा कौशल का घटक है। प्रत्येक शब्द के अर्थ, संबोध व उच्चारण का ज्ञान छात्र को होना चाहिए। इनकी सहायता से वह पद्यांश तथा वाक्यों का अर्थ समझता है तथा मौखिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की क्षमता उसमें आती है।

• **शब्द संकलन** (Vocabulary)

भाषा कौशल में सबसे महत्त्वपूर्ण घटक शब्द संपत्ति है। जिसके पास शब्द संग्रह अधिक है वही भाषा पर प्रभुत्व प्राप्त करने की योग्यता रखता है। अतः शिक्षक का दायित्व है कि वह नए तथा अपरिचित शब्दों का छात्र से परिचय व स्मरण कराकर उनकी शब्द संपदा बढ़ाए।

Unit 4b

कक्षा में मौखिक भाषा का महत्त्व (Improtance of Oral Language in Classroom)

• साक्षर अर्थात अक्षर ज्ञान होने के लिए मौखिक भाषा जरूरी है।

• बालक के अध्ययन का प्रारंभ श्रवण द्वारा होता है। अतः कक्षा में शिक्षक को मौखिक भाषा

का उपयोग अधिक करना चाहिए।

• कक्षा अध्ययन केवल मौखिक भाषा पर निर्भर होता है। इसलिए संप्रेषण महत्त्वपूर्ण होता है।

• शब्द संकलन का संबंध मौखिक भाषा अर्थात भाषण तथा वाचन से होता है।

• जो छात्र भाषा कौशल में पिछड़े रहते हैं उन्हें वाचन तथा आकलन में समस्या आती है।

• भाषण कौशल द्वारा छात्र को अपने विचार, योग्यता तथा कुशलता व्यक्त करने का अवसर मिलता है।

• मौखिक भाषा द्वारा संकल्पना एवं संबोध स्पष्ट होते हैं। कल्पना, विचार आदि पर चर्चा होती है तथा कार्य का प्रस्तुतिकरण करना संभव होता है।

• कक्षा अध्ययन या स्कूल में कोई भी उपक्रम मौखिक भाषा के बिना संभव नहीं है।

• शिक्षक-छात्र की आंतरक्रिया संप्रेषण द्वारा ही होती है।

संप्रेषण की रचना (Structure of Communication)

• भाषण का प्रमुख साधन मौखिक भाषा है।

• विचार एवं कल्पना आदि की अभिव्यक्ति केवल संप्रेषण द्वारा होती है। इन्हें क्रमानुसार योग्य तालमेल बिठाकर सहसंबंध जोड़ने में भाषा सहायता करती है। संप्रेषण द्वारा जानकारी प्राप्त होती है।

• कई कल्पनाएं, विचार आदि का आकलन चर्चा, श्रवण तथा वाचन द्वारा होता है।

• संप्रेषण दो प्रकार का होता है - शाब्दिक तथा अशाब्दिक। शाब्दिक का अर्थ है जिसमें शब्दों का प्रयोग किया हो यानि भाषण तथा लेखन। अशाब्दिक में शब्दों की जगह चित्र, संबोध, आकार, प्रतिक, रंग, संकेत आदि संकल्पनाओं का उपयोग किया जाता है।

• संप्रेषण के इस आधार पर चार प्रकार हैं-

1) श्रवण तथा भाषण (Listening & Speaking)

2) वाचन तथा लेखन (Reading & Writing)

3) रेखाचित्रीय प्रस्तुतिकरण (Graphic Presentation)

4) कृति द्वारा संप्रेषण (Action)

संप्रेषण प्रक्रिया के प्रत्येक प्रकार में दो पहलू होते हैं- ग्रहण करनेवाला (receiver) तथा व्यक्त करनेवाला (sender)

ग्रहण में व्यक्ति के संप्रेषण या अभिव्यक्ति का अर्थ प्राप्त करना होता है। उसका माध्यम ध्वनि, लेखन, वाचन, कृति या चित्र हो सकते हैं। इनके द्वारा व्यक्ति जो संदेश देना चाहता है उसे ग्रहणकर्ता प्राप्त करता है।

संदेश भेजनेवाला अर्थात संदेशकर्ता अपने विचार, कल्पना या कार्य को भाषण, वाचन, लेखन, कृति या चित्रात्मक संदेश द्वारा ग्रहणकर्ता तक पहुंचाने का कार्य करता है।

भाषण / संभाषण (Discourse)

संभाषण संप्रेषण का स्वरूप है। यह मौखिक भाषा द्वारा संभव होता है। संभाषण में प्रश्न, वार्तालाप, चर्चा, कथन, वादविवाद, गायन, वक्तृत्व आदि का समावेश होता है।

भाषण की रचना (Structure of Discourse)

संभाषण को चार भागों में विभाजित किया गया है-

1) प्रारंभ-प्रतिक्रिया-मूल्यांकन (Iniation-Resonance-Evaluation)

• यह संभाषण की पारंपरिक विधि है। इसमें शिक्षक प्रश्न पूछकर प्रारंभ करता है, छात्र उत्तर देकर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तथा प्राप्त उत्तर का शिक्षक मूल्यांकन करता है। इस प्रकार क्रम चलता रहता है।

• शिक्षक प्रश्नकर्ता की भूमिका निभाता है। वह छात्रों से सही उत्तर की अपेक्षा करता है किंतु सभी छात्रों का सक्रिय रूप से समावेश नहीं होता, क्योंकि कुछ छात्र बोलने में संकोच करते हैं।

• कभी-कभी छात्र द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं होता। कोई छात्र संक्षेप में जवाब देने की बजाय विस्तार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है।

2) निर्देशन (Instructions)

संभाषण का एक प्रकार निर्देश देना भी है। यह कार्य शिक्षक करता है। वह छात्रों को मार्गदर्शक, सूचनात्मक वाक्यों का प्रयोग कर निर्देश देता है। छात्र कोई भी प्रतिक्रिया न देते हुए शांतिपूर्ण ढंग से सूचनाओं का पालन कर कृति करते हैं।

3) गहन प्रश्न (Probing questions)

शिक्षक ऐसे प्रश्नों की रचना करता है जो जटिलता तथा नियमों का ध्यान न रखकर की जाती है। छात्र को पूछे गए प्रश्न पर गहन अध्ययन, विश्लेषण, समीक्षा तथा विचार करने के बाद विस्तार पूर्वक उत्तर की अपेक्षा शिक्षक करता है। इसके लिए छात्र संदर्भ सामग्री का उपयोग कर सकता है। उत्तर के साथ-साथ उसके द्वारा किए गए प्रयास के लिए उसे प्रोत्साहन दिया जाता है।

4) तर्क-वितर्क (Argumentation)

तर्क-वितर्क संभाषण का वह प्रकार है जिसमें छात्रों को उत्तर या विधान के लिए अध्ययन करना होता है। वह परिस्थिति, घटना, काल आदि का विचार करके संभावनाओं का अनुमान लगाता है। इस प्रकार उसकी आलोचनात्मक चिंतन क्षमता (critical thinking) तथा सृजनात्मकता (creativity) के विकास को अवसर मिलता है। इसका स्वरूप प्रश्न-उत्तर के रूप में भी हो सकता है।

भाषण / संभाषण की सीमाएं (Limitations of Discourse)

- प्रश्न पूछते समय या भाषण के समय छात्रों को शांतिपूर्ण चित्त से सुनना पड़ता है, जो कभी-कभी छोटी कक्षाओं में संभव नहीं हो पाता।
- शिक्षक के कक्षा अध्यापन का अधिकतर समय बोलने में ही चला जाता है।
- प्रश्न का उत्तर संक्षेप में हो या विस्तृत इसका निर्धारण शिक्षक करता है, यदि छात्र ने उसके विपरीत उत्तर दिया तो गलत हो जाता है।
- क्रियाशील छात्र हमेशा उत्तर देते हैं, अन्य छात्र केवल श्रोता की भूमिका निभाते हैं।
- शिक्षक को एक विषय के लिए केवल 35 मिनट का पिरियड मिलता है, अतः केवल संभाषण में ही समय खर्च हो जाता है।
- छात्रों की संख्या अधिक होती है, अतः प्रत्येक छात्र संभाषण में सहभागी नहीं हो पाता।
- पाठ्यक्रम विस्तृत होने से हर बार यह प्रक्रिया संभव नहीं होती।
- प्रत्येक छात्र की संप्रेषण क्षमता में भिन्नता होती है।
- अतः चर्चा का विषय तथा प्रश्न प्रेरणा देनेवाले व रुचिपूर्ण हो ताकि अधिक से अधिक संख्या में छात्र भाग ले सके।

Unit-4 (C)

B) भाषा अध्ययन में अध्ययनकर्ता का संगावेश : प्रश्नों का महत्त्व, प्रकार तथा चर्चा पर आधारित अध्ययन

Unit-7 C

(Engaging Learner in Language Learning : Importance of questioning, types of questions and discussion based learning)

भाषा अध्ययन

भाषा अध्ययन का अर्थ यदि व्यापक रूप से लिया जाए तो इसे वह योग्यता कहते हैं जो अन्य विदेशी भाषा में प्रभावी संप्रेषण की क्षमता रखती है। इसमें निम्न प्रकारों का समावेश होता है-

- विशेषज्ञों के लिए भाषा अध्ययन
- सामान्य बोलचाल के लिए भाषा अध्ययन
- निर्देश की भाषा
- सामाजिक उद्देश्य से भाषा अध्ययन

विशेषज्ञ अर्थात जो छात्र भाषा साहित्य में स्नातक या स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल करते हैं उन्हें साहित्य, संस्कृति, इतिहास, राजनीति आदि विषयों का ज्ञान भाषा द्वारा प्राप्त होता है।

भाषा अध्यापक अपने प्रभावी संप्रेषण तथा भाषा अध्ययन को यशस्वी रूप से परिभाषित करते हुए छात्र अथवा अध्ययनकर्ता को भाषा अध्ययन के लिए प्रेरित करता है। यदि उसके पास कुशलता नहीं है तो अध्ययनकर्ता रुचि नहीं लेता तथा अध्यापन का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। केवल भाषा विषय में अच्छे अंक या अच्छी श्रेणी प्राप्त कर लेना इस पर अध्ययनकर्ता की सफलता नहीं होती; बल्कि भाषा की संरचना, नियम, व्याकरण, व्यवहार तथा संप्रेषण आदि पर उसका प्रभुत्व होना जरूरी है।

भाषा अध्ययन में अध्ययनकर्ता को आकर्षित करने वाले घटक

- छात्र केवल औपचारिक किताबी ज्ञान से नहीं; बल्कि स्कूल से बाहर के परिवेश में अनौपचारिक अनुभवों द्वारा प्रेरित होता है।
- निरंतर रूप से कल्पना, भावना तथा विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा उपयोग हेतु छात्र को प्रेरित करना आवश्यक है।
- भाषा अध्ययन की प्रगति का मूल्यांकन छात्र की क्रियात्मक कुशलता के आधार पर किया जाना चाहिए।

• भाषा अध्ययन भविष्य में उसके जीवन के लिए महत्त्वपूर्ण है यह समझने पर छात्र अध्ययन के लिए प्रेरित होता है।

• रुचिपूर्ण कक्षा अध्ययन, प्रोजेक्ट, सह-पाठ्यगामी क्रियाओं द्वारा छात्र की भाषा संबंधी रुचि का निर्माण करे।

• छात्रा भाषा विषय को केवल पाठ्यक्रम का भाग है यह सोचकर पढ़ते हैं। अतः उन्हें भाषा का जीवन में पग-पग पर महत्त्व समझाया जाए।

• प्रभावी भाषा ज्ञान के कारण किन-किन क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हो सकती है यह बताना चाहिए।

• प्रत्येक भाषा का अपना अलग स्थान तथा महत्त्व होता है यह समझाना आवश्यक है।

• संप्रेषण की योग्यता के कारण जीवन में वह किस-किस व्यावसायिक क्षेत्र में ऊंचाई हासिल कर सकता है इसके ज्ञान से अवगत कराए।

अध्ययनकर्ता को भाषा अध्ययन में समाविष्ट करने हेतु प्रश्न (Questions to involve Learners in Learning)

• छात्रों के लिए सूचनात्मक अर्थात जानकारी देनेवाले प्रश्नों का उपयोग भाषा पहचान के लिए किया जाता है।

• प्रश्नों के उत्तर द्वारा छात्र को भाषा का कितना आकलन हुआ है यह जानकर अभ्यास के लिए प्रश्न दिए जाते हैं।

• भाषा का पूर्वज्ञान छात्र को कितना है इसकी जांच के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। पूर्वज्ञान के स्मरण द्वारा परिकल्पना तैयार करने हेतु प्रश्नों का उपयोग होता है।

• मूल्यांकन के लिए संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हुए छात्र को ज्ञात संकल्पना का अनुमान होता है। अतः ऐसे प्रश्न बीच-बीच में पूछे जाते हैं।

प्रश्न पूछने का महत्त्व (Importance of questioning)

• प्रश्न पूछकर छात्र को अध्ययन प्रक्रिया के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

• समस्या निराकरण के लिए प्रश्न कौशल आवश्यक है।

• छात्र-शिक्षक के बीच आंतरक्रिया का प्रभाती साधन है।

• प्रश्न पूछने से छात्र अपने विचार तथा भावना व्यक्त करता है; जिससे शिक्षक तथा छात्र के बीच संबंध स्थापित होता है।

• समीक्षात्मक प्रश्नों द्वारा छात्र के आलोचनात्मक चिंतन तथा सृजनशीलता को बढ़ावा मिलता है।

• प्रश्नों द्वारा छात्रों के ज्ञान, आकलन तथा उपयोजन कौशलों का पता चलता है।

• मौखिक अभिव्यक्ति के कारण संप्रेषण कौशल विकसित होता है।

• उत्तम श्रवण की आदत का निर्माण होकर श्रवण के साथ-साथ भाषण कौशल का भी विकास होता है।

• शिक्षक को मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रश्नों का उपयोग होता है।

• अध्ययन में सक्रिय सहभाग लिया जाता है।

• प्रश्न शिक्षक का ऐसा हथियार है जो उसकी अध्यापन प्रक्रिया के सभी पहलुओं को विकसित करता है।

प्रश्नों के प्रकार (Type of questions)

• **मूल्यांकन के लिए प्रश्न** (Evaluation questions) - इन प्रश्नों द्वारा छात्र को प्राप्त ज्ञान का अनुमान लगाया जाता है। अध्यापन के बाद शिक्षक अपने कक्षा अध्यापन का मूल्यांकन करने के लिए प्रश्न पूछता है। इनमें छात्र के विचार विस्तार से अपेक्षित होते हैं।

• **स्मरणशक्ति को विकसित करनेवाले प्रश्न** (Memory questions)

ऐसे प्रश्न पूछकर छात्र की स्मरणशक्ति को प्रेरित किया जाता है। भूतकाल की घटनाओं को स्मरण करने के लिए कहा जाता है। ये प्रश्न संक्षिप्त उत्तर वाले होते हैं।

• **सूचनात्मक प्रश्न** (Introgation questions)

इन प्रश्नों द्वारा छात्र से केवल हां/नहीं, सही/गलत, सत्य/असत्य इस प्रकार का एक शब्द में उत्तर अपेक्षित किया जाता है। अंग्रेजी में इन्हें Wh-type प्रश्न कहा जाता है।

• **अभिसारी / अपसारी प्रश्न** (Convergent/Divergent questions)

इन प्रश्नों द्वारा अपेक्षित उत्तर की यथार्थता यानि सत्यता शत-प्रतिशत होती है। इसमें

बौद्धिक चिंतन को प्रेरणा मिलती है। छात्र तर्कपूर्ण उत्तर देता है तथा यह उत्तर सभी छात्रों द्वारा समान रूप से मिलता है।

- अभ्यास हेतु प्रश्न (Practice questions)

शिक्षक छात्र के निरंतर अध्ययन तथा अभ्यास की जांच इन प्रश्नों द्वारा करता है। ये प्रश्न शिक्षक तथा छात्र दोनों के द्वारा पूछे जाते हैं। निरंतर शिक्षण सामग्री द्वारा उपयोग ऐसे प्रश्नों के लिए अर्थपूर्ण आयाम प्रदान करने की कोशिश करता है।

- **तार्किक प्रश्न** (Logical questions)

किसी घटना, प्रक्रिया अथवा वस्तु के बारे में वास्तविकता को प्राप्त करते हुए उचित निष्कर्ष प्राप्त करने की क्रिया इन प्रश्नों द्वारा होती है। छात्र वास्तविकता को परखने के लिए अनुमान, तर्क तथा आलोचनात्मक चिंतन द्वारा प्रश्न का उत्तर प्राप्त करते हैं।

अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं (Characteristics of good questions)

स्पष्टता (Clarity) - प्रश्न में स्पष्टता होनी चाहिए। उसका हेतु तथा अर्थ छात्र को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। क्लिष्ट तथा असंबंधित शब्दों का प्रयोग नहीं करे।

सरलता (Simplicity) - प्रश्न की भाषा सरल होनी चाहिए। छात्र की उम्र तथा बौद्धिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए।

विशिष्टता (Specificity) - शिक्षक को विशिष्टता पूर्ण प्रश्न पूछने चाहिए। सामान्य उत्तर की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए; बल्कि विशेष विधान अथवा वाक्य के रूप में उत्तर प्राप्त हो ऐसे प्रश्न होने चाहिए।

चुनौतीभरे (Challenging) - छात्र की स्मृति को चुनौती देनेवाले प्रश्न हो ताकि वह रूचिपूर्ण सहभाग ले सके।

किताबी भाषा को टालना (Avoiding textbook wordings) - अच्छे प्रश्नों में शिक्षक सामान्य व्यावहारिक भाषा का प्रयोग करता है। अतः सीधे किताब से उठाकर वाक्य रचना का प्रयोग न करे।

Unit 4 (a)

चर्चा पर आधारित अध्ययन (Discussion based learning)

'चर्चा' एक ऐसा संबोध या प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचार,

भावना, ज्ञान, कल्पना तथा अनुभवों का आदान-प्रदान आंतरक्रिया द्वारा होता है। इसमें मौखिक संप्रेषण का उपयोग किया जाता है। चर्चा पद्धति में प्रश्न पूछना, जानकारी देना तथा प्राप्त करना, वार्तालाप द्वारा उचित निष्कर्ष पर पहुंचना आदि प्रक्रियाओं का समावेश होता है।

यदि चर्चा का निष्कर्ष जटिल हो तो सूचनाओं का संश्लेषण करना पड़ता है। इसके लिए गहन अध्ययन में छात्रों को निर्देशित (directive) प्रश्न पूछकर समाविष्ट करते हैं। चर्चा में शिक्षक तथा छात्र एक-दूसरे की सहायता करते हैं। इस प्रकार यह सहयोगी अध्ययन का एक प्रकार है।

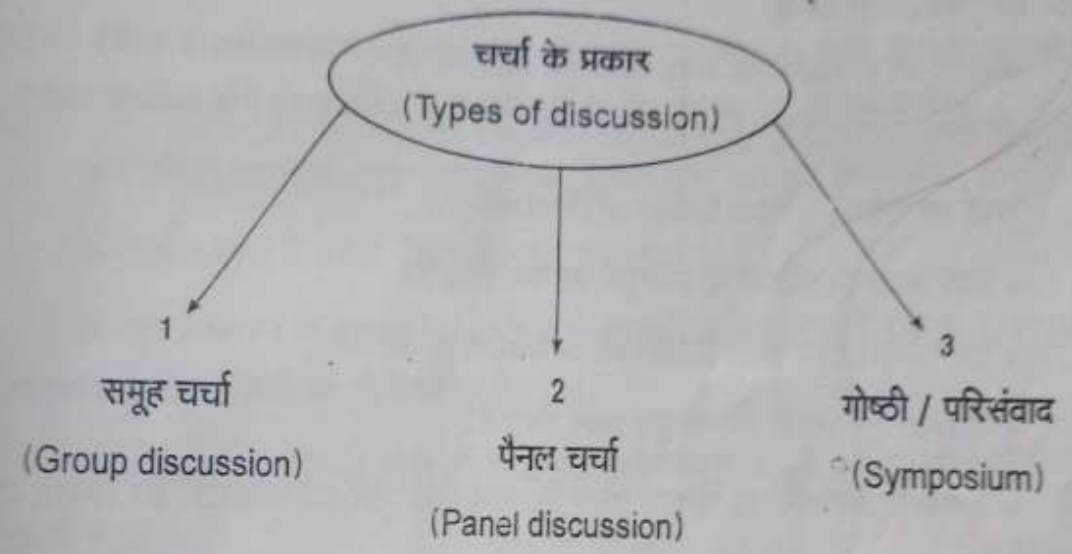

1) **समूह चर्चा** (Group discussion) - समूह चर्चा में संपूर्ण कक्षा को दो समान भागों में विभाजित किया जाता है। पहला समूह चर्चा के विषय की जानकारी देता है तथा दूसरा समूह उसे प्राप्त करता है। हर छात्र व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से भाग लेता है।

2) **पैनल चर्चा** (Panel discussion) - इस प्रकार में कक्षा को छोटे-छोटे समूहों में विभाजित किया जाता है तथा श्रोताओं का भी एक पैनल यानि दल होता है। एक दल में तीन या चार सदस्य होते हैं। वे मंच पर या कक्षा के सामने बैठकर आमने-सामने संप्रेषण करते हैं। अन्य छात्र उन्हें देखते तथा सुनते हैं।

3) **गोष्ठी / परिसंवाद** (Symposium) - यह चर्चा पद्धति अधिक औपचारिकतापूर्ण होती है। किसी मुद्दे या समस्या को लेकर अनेक वक्ता अपना प्रस्तुतीकरण देते हैं तथा चर्चा के अंत में निष्कर्ष ज्ञात करते हैं। यह चर्चा श्रोता द्वारा पूछे जानेवाले प्रश्नों की प्रतिक्रिया के रूप में चलती है।

कक्षा में चर्चा प्रक्रिया की कार्यवाही

• चर्चा के लिए छात्रों को समान समूहों में बाटें। प्रत्येक समूह में चार से अधिक सदस्य हों।

• प्रारंभ में चर्चा का उद्देश्य विषय तथा संपूर्ण प्रक्रिया छात्रों को समझाए।

• विषय से संबंधित जानकारी तथा कुछ प्रश्न शिक्षक संक्षेप में दे। चर्चा के बाद ही शिक्षक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे।

• छात्रों के प्रतिसाद द्वारा शिक्षक शीघ्र निर्णय लेकर यह विश्वास दिलाए कि वे उद्देश्य की ओर सही रूप से जा रहे हैं।

• छात्रों की प्रतिक्रिया का संश्लेषण करके छात्रों को स्वयं निष्कर्ष प्राप्त करने का अवसर दे।

चर्चा का महत्त्व (Importance of discussion)

• छात्र अध्ययन प्रक्रिया में रुचिपूर्ण सहभाग लेता है।

• वह संप्रेषण द्वारा अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है।

• समस्या का प्रभावी रूप से हल प्राप्त होता है।

• सहयोगी अध्ययन का विकास होता है। छात्र एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना सीखते हैं।

• भाषा अभिग्रहण की कुशलता प्राप्त होती है। ध्वनि, उच्चारण तथा शब्द संपदा में विकास होता है।

• डर तथा संकोच दूर होकर छात्र का आत्मविश्वास बढ़ता है।

• किसी भी विषय को अलग-अलग दृष्टिकोण से देखकर तर्क करना सीखता है।

• आपसी आंतरक्रिया द्वारा एक-दूसरे के अनुभव का पता चलता है।

c) पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाषा विकास में शिक्षक की भूमिका

(Teacher's role in promoting discipline Language Across Curriculum-LAC)

पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाषा (Language Across Curriculum-LAC)

इस पद्धति में भाषा अध्ययन तथा विषय-वस्तु का अध्ययन दोनों में एकात्मता होती है। दोनों

प्रक्रिया साथ-साथ चलती है।

परिभाषा - "पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाषा (LAC) एक आधुनिक संकल्पना है जिसके अनुसार स्कूल अध्ययन में निरंतर रूप से प्रत्येक पिरियड तथा विषय के साथ भाषा का अध्ययन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता रहता है।"

पाठ्यक्रम में भाषा का महत्त्व (importance of LAC)

• सभी विषयों का अध्ययन भाषा द्वारा ही संभव होता है। अतः भाषा तथा पाठ्यवस्तु दोनों परस्पर संबंधित होते हैं। इसलिए भाषा अध्ययन के लिए पाठ्यवस्तु आवश्यक है।

• पाठ्यांश का संदर्भ तथा भाषा दोनों के विकास द्वारा अध्ययन सफल होता है।

• शिक्षक भाषा के प्रयोग से प्रभावी अध्यापन करता है।

• छात्र अध्यापन के माध्यम (भाषा) के साथ समायोजन में आनेवाली समस्या हल करते हुए पाठ्यांश अधिक प्रभावी ढंग से समझता है।

• पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाषा की योजना तथा कार्यवाही करने के लिए संरचना तैयार की जाती है।

शिक्षक की भूमिका (Role of Teacher)

ज्ञान तथा जागरूकता

• भाषा की संरचना, विषय-वस्तु, शब्द-संग्रह तथा गति आदि की रचना द्वारा शब्दों में तालमेल करने का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए।

• भाषा के सभी घटकों के प्रति जागरूकता तथा कुशलता पूर्वक उपयोग करने का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए।

• पुनरावृत्ति द्वारा भाषा ज्ञान का दृढ़ीकरण करने की योग्यता शिक्षक के पास होनी चाहिए।

• प्रत्येक विषय के अध्यापन में विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग करना चाहिए।

• त्रिभाषा सूत्र द्वारा पाठ्यक्रम में निहित तीनों भाषाओं का ज्ञान शिक्षक को होना आवश्यक है।

• अपने भाषण, वाचन तथा लेखन के प्रस्तुतीकरण द्वारा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए।

प्रवृत्ति

- भाषा के संबंध में शिक्षक को सकारात्मक प्रवृत्ति का निर्माण करना चाहिए।
- चिंतन क्षमता का विकास भाषा द्वारा संभव है, अतः शिक्षक इसके लिए प्रयासरत रहे।
- छात्रों को प्रत्येक विषय में निहित शब्द, संकल्पना आदि को सीखने के लिए प्रवृत्त करे।
- मौखिक संप्रेषण के लिए छात्र को प्रेरित करे।

कार्यनीति

- भाषा अध्यापन केवल भाषा अध्यापक की जिम्मेदारी नहीं है यह ध्यान में रखकर प्रत्येक विषय के शिक्षक आपसी सहयोग द्वारा छात्रों की भाषा समृद्ध करने के उपाय करें।
- सहयोगी अध्यापन में कार्यनीति द्वारा चर्चा का अवसर प्रत्येक छात्र को दिया जाए।
- छात्रों को व्यक्तिगत, दो-दो की जोड़ी, छोटे समूह और फिर कक्षा द्वारा वार्तालाप तथा संप्रेषण के लिए प्रेरित किया जाए।
- इस तरह विभिन्न अध्यापन विधियों का उपयोग कर मौखिक भाषा अभिग्रहण का विकास शिक्षक कर सकते हैं।

❑❑❑

विद्याशाखा के अंतर्गत भाषा व्यवहार भाग-2
(Transacting Language Across Discipline)

A) भाषा संरचना एवं विषय-वस्तु का स्वरूप पहचानना
(वर्णनात्मक/कथनात्मक, आंतरक्रियात्मक/विमर्शी) भाषा-रूपरेखा, विषय-वस्तु संरचना)

Identifying Nature of Texts & Language Structure
(Expository vs Narrative, Transactional vs Reflective, Language Schema, Text Structure)

वह पाठ्यांश जो किसी विषय का वर्णन करता है, अर्थ बताता है तथा लेखक का संदेश पाठक तक पहुंचाता है उसे विषय-वस्तु कहते हैं। इसके लिए शब्द, वाक्य तथा संकेतों का उपयोग किया जाता है जो सहजता से पढ़ा जा सके। 'विषय-वस्तु' में मूल जानकारी को अलग-अलग भागों में बांटा गया होता है। इसमें क्रमबद्धतानुसार शब्द, वाक्य एवं चिन्हों की संरचना की जाती है। विषय-वस्तु लिखित, मुद्रित, मौखिक, संक्षिप्त विवरण अथवा अनुवाद स्वरूप में होता है।

वर्णनात्मक विषय-वस्तु (Expository Texts)

"जिस विषय-वस्तु द्वारा पाठक या श्रोता को जानकारी का स्पष्टीकरण तथा अर्थ प्राप्त होता है उसे वर्णनात्मक विषय-वस्तु कहते हैं।"

"Expository text means a text that informs, explains, describes & defines the subject to reader."

वर्णनात्मक विषय-वस्तु में इन विषयों का समावेश होता है ,जैसे- पाठ्यपुस्तक के गद्यांश, समाचार पत्र के लेख, भाषा विषय की किताबें, लेखक की रचनाएं, जीवनी, हस्तपुस्तिका, शहर या राज्य का वर्णन आदि।

वर्णनात्मक विषय-वस्तु की रचना

वर्णनात्मक विषय-वस्तु की पांच प्रकार से रचना की जाती है-

1) अर्थ - उदाहरण (व्याकरण)

2) कारण - परिणाम

3) तुलना - अंतर

4) समस्या - निराकरण

5) क्रमानुसार रचना

उक्त शब्दों के आधार पर विषय-वस्तु की रचना की जाती है। वर्णनात्मक विषय-वस्तु के अंतर्गत ऐतिहासिक वस्तु एवं घटनाओं का वर्णन, सूचनात्मक विवरण, प्रक्रिया तथा वर्णन आदि विषयों का भी समावेश होता है।

वर्णनात्मक विषय-वस्तु की विशेषताएं (Characteristics of Expository Texts)

- वर्णनात्मक विषय-वस्तु के अंतर्गत कल्पना, तथ्य एवं जानकारी को वस्तुनिष्ठ पद्धति से लिखा जाता है।
- इसमें जानकारी का विवरण दिया जाता है।
- वर्णनात्मक विषय-वस्तु का प्रमुख उद्देश्य जानकारी देना होता है।
- वाक्य रचना में अधिकतर तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम का उपयोग किया जाता है।
- इसका उद्देश्य शैक्षणिक दृष्टि से उपयुक्त होता है।
- इसमें कल्पना को स्थान नहीं होता।
- संक्षेप तथा स्पष्ट रूप से विषय-वस्तु की संरचना की जाती है।
- अमूर्त संबोध एवं संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण किया जाता है।
- निरपेक्षता तथा वस्तुनिष्ठता होती है।
- कोई नयी अथवा अज्ञात जानकारी दी जाती है।

कथनात्मक विषय-वस्तु (Narrative Texts)

कथनात्मक विषय-वस्तु प्रमुख रूप से बदलते समय की कृतियों तथा घटनाओं से संबंधित होती हैं। इसमें विशिष्ट संकेतों द्वारा समय का क्रम बताया जाता है। कथन में लघुकथा, जीवनी, उपन्यास, डायरी, समाचार तथा रिपोर्ताज का समावेश होता है।

"काल्पनिक तथा वास्तविक तथ्य या घटनाओं का सुसंगत क्रम बनाकर तैयार किया गया कथन अर्थात कथनात्मक विषय-वस्तु है।"

"Narrative text is a short story that is made in constructive formal sequence of fictionary & non-fictionary events."

कथनात्मक विषय-वस्तु की रचना

इसकी रचना के प्रमुख पांच प्रकार बताए हैं-

1) जटिल - संघर्षपूर्ण

2) निदान - निराकरण

3) प्रबोधन / जागरूकता

4) पुनः प्रबोधन

5) मूल्यांकन

इस प्रकार कथनात्मक विषय-वस्तु में लोककथा, कल्पनात्मक कथा, आख्यायिका, नाटक, चित्रात्मक कथा, रोमांचक कथा, पौराणिक कथा तथा नाटक आदि का समावेश होता है।

कथनात्मक विषय-वस्तु की विशेषताएं

- कथनात्मक विषय-वस्तु का मूल उद्देश्य मनोरंजन होता है।
- वाचक अपनी रूचि के अनुसार साहित्य का चुनाव करता है।
- इसमें सामान्य जीवन की घटनाओं का विशेष रूप से उल्लेख होता है।
- काल्पनिक कथा का समावेश होता है।
- विषय-वस्तु की वाक्यरचना भूतकाल का उपयोग कर लिखी होती है।
- लेखक की कल्पना तथा भावनाओं की अभिव्यक्ति खुलकर होती है।

- जटिलता, समस्या आदि को दर्शाकर अंत में उसका निराकरण किया जाता है।
- कथन में वार्तालाप या प्रत्यक्ष संवाद किया जाता है।
- वाक्यरचना चमत्कारिक, अलंकृत किंतु सरल होती है।
- वाचक की रुचि, स्तर आदि को ध्यान में रखा जाता है।
- कथा द्वारा अंतर्दृष्टि प्राप्त होकर उद्देश्य पूर्ण होता है।

वर्णनात्मक तथा कथनात्मक विषय-वस्तु में अंतर
(Difference - Expository vs Narrative Text)

- कथनात्मक विषय-वस्तु एक लेखन शैली है जिसे कथाकथन कहते हैं किंतु वर्णनात्मक विषय-वस्तु में घटना का केवल वर्णन किया जाता है।
- वर्णनात्मक विषय-वस्तु में अनेक वास्तविक तथ्यों का वर्णन होता है; कथनात्मक में अलंकारिक तथा कल्पनात्मक कथन का समावेश होता है।
- वर्णनात्मक विषय-वस्तु का प्रमुख उद्देश्य जानकारी तथा कथनात्मक का केवल शुद्ध मनोरंजन करना है।
- वर्णनात्मक विषय-वस्तु में लेखक को अपनी राय या भावना की स्वतंत्रता नहीं होती; बल्कि कथन में वह अपनी कल्पना तथा राय को ही महत्त्व देता है।
- वर्णनात्मक विषय-वस्तु में घटना या विषय को प्रधानता दी जाती है तथा कथनात्मक में पाठक या श्रोता को।
- वर्णनात्मक विषय-वस्तु में संकल्पनाएं अमूर्त स्वरूप की होती हैं; किंतु कथनात्मक में मूर्त होती है।
- वर्णनात्मक में विषय या जानकारी अज्ञात होती है; कथनात्मक विषय-वस्तु में प्रत्यक्ष जीवन की घटनाओं का समावेश होता है।

आंतरक्रियात्मक विषय-वस्तु (Transactional Text)

आंतरक्रियात्मक विषय-वस्तु में आपसी वार्तालाप या संप्रेषण द्वारा आंतरक्रिया होती है। इसके लिए आपसी व्यवहार की भाषा का प्रयोग किया जाता है जो संबंधों को मजबूत एवं बेहतर

बनाती है। कक्षा अध्यापन में यह भाषा अधिकतर प्रयोग की जाती है। यह संप्रेषण को शृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित रखती है। "जिसमें लेखक तथा पाठक दोनों की परस्पर आंतरक्रिया होती है ऐसी विषय-वस्तु को आंतरक्रियात्मक विषय-वस्तु कहते हैं।"

दो व्यक्तियों के बीच जानकारी का आदान-प्रदान होता रहता है। इस प्रकार के विषय-वस्तु में साक्षात्कार, निमंत्रण पत्र, ई-मेल, प्रार्थना पत्र, अनुमतिपत्र, आदेश आदि प्रकारों का समावेश होता है।

आंतरक्रियात्मक विषय-वस्तु की विशेषताएं
(Characteristics of Transactional Texts)

- आंतरक्रियात्मक विषय-वस्तु में पूर्वनियोजित लेखन का समावेश होता है।
- वाक्यरचना सरल, रोचक तथा संक्षेप में होती है।
- विषय-वस्तु का संक्षेप में सार होता है अर्थात लंबाई कम होती है।
- यह औपचारिक संप्रेषण का प्रकार है।
- वार्तालाप द्वारा आपसी आंतरक्रिया होती है।
- भाषा तकनीकी-युक्त (Technological) एवं विशेष प्रकार की होती है।
- प्रत्यक्ष संभाषण होने से विरामचिन्हों का अधिक बारीकी से ध्यान दिया जाता है।
- वाक्यरचना क्रमबद्ध एवं तार्किक होती है।

विमर्शी विषय-वस्तु (Reflective Texts)

विमर्शी विषय-वस्तु का अर्थ है विश्लेषणात्मक पाठ्यांश जिसमें लेखक अपने विचार, भावना तथा जीवन-प्रसंग के माध्यम से सत्य, काल्पनिक घटना आदि का स्मृतिपूर्ण वर्णन करता है तथा व्यक्तिगत चिंतन द्वारा उस पर उचित प्रतिक्रिया देता है।

लेखक केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि उनका स्मरण कर क्रमानुसार विवरण लिखता है तथा संपूर्ण विषय-वस्तु द्वारा एक अर्थ प्राप्त करता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव का वर्णन पाठक के समक्ष प्रस्तुत करता है। घटना का अंतर्दृष्टि द्वारा विश्लेषण करता है तथा परिणाम प्राप्त करता है। विमर्शी विषय-वस्तु औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की हो सकती है।

सत्यज्ञान पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित

अतः प्राप्त घटना अथवा प्रसंग के लिए दी गई प्रतिक्रिया को हम विमर्शी विषय-वस्तु कहते हैं। इससे लेखन कौशल तथा विमर्शी चिंतन का विकास होता है। विमर्शी विषय-वस्तु में संस्मरण, प्रवास वर्णन, डायरी, पत्रिकाएं, आत्मकथा तथा फिल्मों का समावेश होता है।

विमर्शी विषय-वस्तु की विशेषताएं
(Characteristics of Reflection Texts)

- यह विषय-वस्तु प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम का उपयोग कर लिखी जाती है।
- अनुभवों का प्रकटीकरण होता है, अतः अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है।
- स्वयं मूल्यांकन एवं आकलन होता है।
- नियम तथा प्रयोग दोनों को एकीकृत कर अध्ययन किया जाता है।
- लेखक के निजी अनुभव तथा घटनाओं का उल्लेख होता है।
- विषय-वस्तु की रचना सरल होती है।
- प्रत्येक कल्पना एवं घटना का समावेश विषय-वस्तु में किया जाता है।

आंतरक्रियात्मक तथा विमर्शी विषय-वस्तु में अंतर

- आंतरक्रियात्मक विषय-वस्तु का प्रमुख उद्देश्य जानकारी संग्रहित करना होता है; विमर्शी विषय-वस्तु में लेखक घटना के विषय में प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता है।
- आंतरक्रियात्मक विषय-वस्तु में दो अथवा अधिक व्यक्तियों के बीच संप्रेषण या वार्तालाप चलता है; विमर्शी विषय-वस्तु में निजी भावनाओं या अनुभवों का प्रत्यक्षीकरण किया जाता है।
- आंतरक्रियात्मक विषय-वस्तु में औपचारिकता तथा संक्षेप होता है; किंतु विमर्शी विषय-वस्तु में अनौपचारिकता तथा विस्तृत लेखन होता है।
- आंतरक्रियात्मक विषय-वस्तु में अनेक संरचनाओं का समावेश होता है; विमर्शी विषय-वस्तु केवल एक भाग होता है।
- आंतरक्रियात्मक विषय-वस्तु के अंतर्गत पत्रों के प्रकार तथा ई-मेल आदि एवं विमर्शी में डायरी, संस्मरण, जीवनी आदि साहित्यिक प्रकारों का समावेश होता है।

विषय-वस्तु की संरचना (Nature of Texts structure)

लेखन सामग्री में विविध प्रकार के विषय-वस्तु की संरचना की जाती है। प्रत्येक प्रकार की लेखन शैली भी अलग होती है। जैसे- आत्मकथा या नाटक इनकी रचना अलग होती है। इसके अलावा पुस्तक में जो लेखन किया जाता है उसकी रचना में भी भिन्नता होती है।

"विषय-वस्तु की संरचना का अर्थ है विषय की ऐसी रचना करना जिसके द्वारा पाठक को जानकारी प्राप्त करने में सहजता एवं सुगमता हो।"

"Text structure is refered as how the informations within a written text is organised."

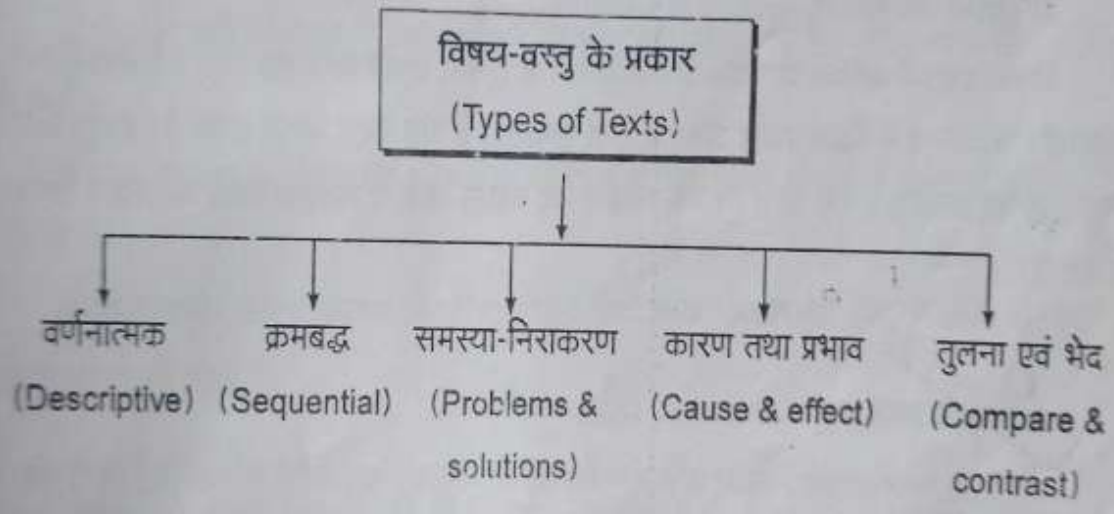

1) वर्णनात्मक (Descriptive)

• वर्णनात्मक विषय-वस्तु द्वारा किसी घटना, प्रसंग, व्यक्ति, स्थान, कल्पना आदि का वर्णन क्रमानुसार किया जाता है। इसकी रचना विषय-वस्तु का विस्तार एवं महत्त्व ध्यान में रखकर की जाती है। नए शब्दों का उपयोग किया जाता है।

2) क्रमबद्ध (Sequential)

• घटनाओं की कालक्रम के अनुसार रचना की जाती है जिसमें किसी जानकारी या संकल्पना का समावेश होता है। लेखन करते समय प्रारंभ, मध्य तथा अंत इन तीनों का क्रम के अनुसार विश्लेषण किया जाता है।

3) समस्या-निराकरण (Problems & Solutions)

• इस प्रकार की विषय-वस्तु में समस्या की संरचना की जाती है, फिर उस पर उपाय के

लिए नियोजन किया जाता है।

• समस्या निर्माण के कारण तथा परिणाम दोनों का विश्लेषण किया जाता है। लेखक अपने विचारों द्वारा समस्या का निराकरण करता है तथा पाठक को भी वही मान्य है ऐसी अपेक्षा रखता है।

4) कारण तथा प्रभाव (Cause & Effect)

प्रथम घटना का स्पष्टीकरण देते हुए कारण बताया जाता है। घटना के पीछे व्याप्त परिस्थितियों, तथ्य, कारण आदि की खोज की जाती है। प्राप्त जानकारी का विश्लेषण कर उचित प्रभाव की जांच होती है। कुछ नए तथा महत्त्वपूर्ण शब्दों का उपयोग किया जाता है जैसे- नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, सायबर क्राइम, बाहुबलि आदि।

5) तुलना एवं भेद (Compare & Contrast)

विषय-वस्तु में कथित दो घटक अथवा विषयों मे तुलना करके समानता तथा भेद ज्ञात करना होता है। संकल्पना में किस प्रकार अंतर है तथा समानता है यह स्पष्ट किया जाता है। इसके लिए घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन होता है। समानता व भेद दर्शाने के लिए अलंकृत शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

भाषा की रूपरेखा (Language Schema)

भाषा की रूपरेखा का सिद्धांत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एफ.सी. बर्टलेट ने प्रतिपादित किया। यह बौद्धिक अध्ययन का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को रिचर्ड एंडरसन ने आगे बढ़ाया। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है उसके लिए प्रक्रिया तथा संरचना का वर्णन यह सिद्धांत करता है। इस सिद्धांत की परिकल्पना यह है कि व्यक्ति जानकारी के अनुसार क्रिया करता है।

भाषा रूपरेखा की संरचना

बर्टलेट के अनुसार भूतकालीन स्मृति पूर्ण रूप से याद नहीं रहती तथा कुछ असंबंधित बातों का भी उसमें समावेश होता है। अतः स्मरण द्वारा प्राप्त ज्ञान को प्रकट करते समय अचूकता नहीं रहती। उस जानकारी का आदान-प्रदान करते समय कुछ त्रुटियां रह जाती हैं इसे ही रूपरेखा कहते हैं।

रूपरेखा एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है जो चिरस्मरणीय ज्ञान के जटिल भाग को प्रदर्शित करती है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के पूर्वज्ञान का उपयोग नए ज्ञान के आकलन के लिए

होता है।

रूपरेखा का महत्त्व (Importance of Schema)

- रूपरेखा सिद्धांत के प्रयोग से छात्रों में स्मरण का विकास करके नए ज्ञान की स्थापना करना संभव होता है।

- रूपरेखा सिद्धांत उस ज्ञान पर बल देता है जो मानसिक प्रदर्शन के संगठन में सहायक होता है।

- वाचन तथा लेखन क्षमता के विकास के लिए यह अत्यंत उपयुक्त है; क्योंकि वाचन तथा लेखन करते समय आकलन आवश्यक होता है तथा इसके लिए पूर्वज्ञान के प्रति जागरूक रहना पड़ता है।

- शिक्षक यदि रूपरेखा में विकास करे तो छात्र को प्राप्त ज्ञान का आकलन अच्छी तरह होता है।

- भाषा के अलावा गणित विषय के लिए रूपरेखा के आधार पर अध्यापन करने से सहायता मिलती है।

- रूपरेखा के कारण स्मरण विकसित होकर क्रियात्मक कौशल का विकास होता है तथा अध्ययन प्रभावी होता है।

B) वाचन में वृद्धि करने की विधियां - बारीकी से वाचन, सरसरी निगाह से वाचन, स्तंभ वाचन, संकेत शब्द वाचन

(Techniques to enhance Reading Comprehension - Scanning, Skimming, Columnar Reading, Key word Reading)

Unit-5 (b)

बारीकी से वाचन (Scanning)

"बारीकी से वाचन अर्थात पूर्व पठित भाग को तेज गति से पढ़कर जानकारी प्राप्त करना होता है।"

"Scanning is locating information by selectively digging out information out of books."

प्राप्त जानकारी को तेजी से खोजना अर्थात स्कैनिंग (Scanning) होता है। इस

प्रक्रिया में सर्वप्रथम जानकारी किस पाठ में या पृष्ठ पर है यह जांचना होता है। उस भाग को बारीकी से पढ़ा जाता है। ध्यानपूर्वक वाचन के साथ शीर्षक, उपशीर्षक, चित्र आदि का निरीक्षण किया जाता है। प्रत्येक शब्द का ध्यानपूर्वक वाचन किया जाता है। ऐसे वाचन का उपयोग शब्दकोश वाचन, समाचार-पत्र अथवा डायरी से कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो किया जाता है।

अतः स्कैनिंग यानि विशिष्ट जानकारी को तुरंत खोजने के लिए वाचन करना। इसके लिए हमें वह जानकारी कहां, किस विषय अथवा पाठ, पृष्ठ पर लिखी है इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है।

बारीकी से वाचन के सोपान

- वाचन का उद्देश्य निर्धारित करना।
- आवश्यक साहित्य उपलब्ध करना।
- प्राप्त साहित्य की रचना का निरीक्षण करना।
- शब्दों तथा पंक्तियों पर उंगली रखना तथा घुमाना।
- पूरा ध्यान वाचन पर केंद्रित करना।

सरसरी निगाह से वाचन (Skimming)

स्कीमिंग का अर्थ तेज गति से पन्ने पलटते हुए सरसरी निगाह से जानकारी का वाचन करना होता है।

"Skimming is a techniques used to get general overview of the information we are reading."

स्कीमिंग का उपयोग किसी पाठ्यांश अथवा विषय-वस्तु की संकल्पना को जानने के लिए होता है। इसमें पूरे पाठ्यांश को नहीं पढ़ा जाता बल्कि केवल प्रमुख शब्द या वाक्य को सरसरी निगाह से देखकर अर्थ समझा जाता है। स्कीमिंग का प्रमुख उद्देश्य विषय-वस्तु की केंद्रीय संकल्पना ज्ञात करना होता है।

स्कीमिंग प्रक्रिया के सोपान

- विषय-वस्तु को तेज गति से पढ़ना।
- प्रमुख शब्दों पर ध्यान केन्द्रित करना।
- विषय-वस्तु की प्रमुख संकल्पना समझना।
- व्याकरण तथा रचना पर ध्यान देना।
- विषय-वस्तु की सामान्य कल्पना समझना।

स्कीमिंग का महत्त्व (Importance of skimming)

- विषय-वस्तु का कम समय में वाचन किया जाता है।
- पाठ्यांश या विषय-वस्तु की केंद्रीय संकल्पना ज्ञात होती है।
- समय की बचत होती है।
- केवल आवश्यक सामग्री का वाचन करने से परिश्रम कम होता है।
- बड़े विषय अथवा साहित्य का पठन कम समय में कर सकते हैं।

स्तंभ वाचन (Columnar Reading)

जब कोई विषय-वस्तु पंक्तिबद्ध या स्तंभ के रूप में लिखी जाती है तो उसका वाचन स्तंभ वाचन कहलाता है। जैसे- काव्य, संक्षिप्त जानकारी अथवा शब्दार्थ आदि का लेखन स्तंभ के आकार में किया जाता है। इनमें शब्द संख्या सीमित होती है। लेखक गागर में सागर भरने का प्रयास करता है। अतः वाचन कम समय में पूर्ण होता है तथा अर्थग्रहण हो जाता है।

संकेत शब्द वाचन (Key word Reading)

विषय-वस्तु में लिखित प्रमुख शब्द या संकल्पना जैसे- शीर्षक, नियम, परिभाषा, ठोस अक्षर में लिखे शब्द या वाक्य। केवल इनके वाचन द्वारा विषय-वस्तु का अर्थग्रहण कर लिया जाता है। विषय-वस्तु के उद्देश्य के अनुसार शब्दों का अर्थ समझा जाता है।

c) विभिन्न लेखन कौशलों का विकास करना, छात्रों के लेखन का विश्लेषण करना

(To develop different types of writing skills, analyzing children's writing)

लेखन संप्रेषण का एक प्रभावी साधन है। इस कौशल के माध्यम से छात्र अपने विचार तथा भावनाएं अभिव्यक्त करता है। यदि वह बोलने में संकोच करता है तो लेखन द्वारा अपने विचार खुलकर व्यक्त कर सकता है। यह आंतरक्रिया का प्रभावी साधन है जिसमें सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। व्याकरण, रचना, संबोध, प्रतीक, चिह्न आदि का प्रयोग लेखन कौशल में किया जाता है। विषय-वस्तु लिखित सामग्री में ही होती है। छात्र में लेखन कौशल का विकास होना आवश्यक है, क्योंकि उत्तम लेखन-शैली के माध्यम से वे अपने विचार सरलतापूर्वक दूसरों तक पहुंचा सकते हैं।

लेखन सृजनात्मक क्षमता का विकास करता है; किंतु इसके लिए निरंतर अभ्यास तथा प्रबल स्वीकारात्मक प्रेरणा की आवश्यकता होती है। विशिष्ट शीर्षक अथवा विषय देखकर शिक्षक छात्र की लेखन शैली तथा कल्पना शक्ति की जांच करता है।

लेखन प्रक्रिया के सोपान

- लेखन से पूर्व कल्पनाओं पर ध्यान केंद्रित करना।
- संरचना तैयार करना एवं उसका मूल्यांकन करना।
- पुनरावृत्ति करना।
- प्रस्तुतिकरण अथवा प्रकाशन करना।

लेखन पूर्व प्रक्रिया

लेखन से पूर्व विषय, कल्पना आदि का अध्ययन करना होता है। इसमें स्मरण तथा पूर्वज्ञान का आधार लिया जाता है। लेखन के विषय-वस्तु की रूपरेखा तैयार की जाती है। उचित शैली, भाषा तथा पद्धति का निश्चय करना होता है। प्रत्येक कल्पना को सुनियोजित किया जाता है। पाठ्यांश का विस्तार, लंबाई आदि निर्धारित की जाती है।

लेखन - कल्पनाओं पर ध्यान केंद्रित करना

इस स्तर पर पूर्व नियोजन के आधार पर लेखन प्रारंभ होता है। प्रथम कच्ची आकृति बनायी जाती है। इस दौरान वाक्य रचना, शब्द तथा व्याकरण का ध्यान नहीं रखा जाता। केवल कल्पना को व्यक्त किया जाता है। क्रमानुसार पूर्वज्ञान तथा नए ज्ञान का नियोजन किया जाता है। मुक्त रूप से भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। इसके लिए समय तथा स्थान सुनियोजित करना जरूरी होता है।

संरचना करना एवं मूल्यांकन करना

लिखित सामग्री को योग्य क्रम में रखा जाता है। व्याकरण, लेखन, विरामचिह्न, संकेत, शीर्षक सभी की संरचना होती है। लेखन का मूल्यांकन कर अचूकता की जांच की जाती है। अतिरिक्त भाग को छांट दिया जाता है।

पुनरावृत्ति करना

इस स्तर पर पूरे लिखित सामग्री को दोहराया जाता है। कहीं कुछ जोड़ना, कुछ मिटाना या वाक्य-रचना में परिवर्तन करना ऐसी विभिन्न क्रियाएं होती हैं। अर्थात जोड़ना, क्रमबद्ध करना, छांटना तथा स्थान बदलना इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इस तरह लेखन की पुनरावृत्ति की जाती है।

प्रस्तुतिकरण / प्रकाशन

पुनरावृत्ति के बाद लिखित सामग्री प्रस्तुति के लिए तैयार होती है। लेखक अपनी सामग्री को प्रस्तुत कर सकता है। इसके लिए वह किसी प्रकाशक की सहायता ले सकता है। अंत में प्रकाशित होकर लेखन कार्य सफल हो जाता है।

लेखन के प्रकार या विधियां

1) विश्लेषणात्मक लेखन (Analytical writing)

इस प्रकार का लेखन विषय-वस्तु को समझने के लिए उसकी पूर्ण जांच द्वारा विविध विशेषताओं का विश्लेषण करता है। जैसे- किसी पाठ या कविता का अर्थग्रहण करना तथा

विश्लेषण करना है तो विशेषण, प्रतीक, अलंकार, तुकांत आदि का अध्ययन होता है। इस प्रकार दी गई सामग्री का विश्लेषण करने हेतु किया गया लेखन विश्लेषणात्मक लेखन होता है।

2) कालानुक्रम के अनुसार लेखन (Chronological Writing)

इस प्रकार के लेखन में घटनाओं के क्रम को अत्यंत महत्त्व दिया जाता है। इस तरह का लेखन इतिहास विषय के लिए उपयुक्त होता है। साथ ही भाषा विषय के पाठ, कथा आदि में भी कालानुक्रम के अनुसार लेखन किया जाता है। किसी का चरित्र-वर्णन, यात्रा-वर्णन आदि का लेखन इस विधि द्वारा होता है।

तुलनात्मक लेखन (Compare / Contrast Writing)

तुलनात्मक लेखन में दो वस्तु या घटनाओं की तुलना की जाती है। उनमें समानता तथा अंतर बताया जाता है। इस प्रकार का लेखन विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि विषयों में किया जाता है। तुलनात्मक लेखन में अन्य लेखन प्रकार भी समाविष्ट होते हैं जैसे- कालानुक्रम, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक आदि।

वर्णनात्मक लेखन (Discriptive Writing)

वर्णनात्मक लेखन द्वारा किसी भी विषय का संपूर्ण चित्र सामने उपस्थित किया जाता है। विषय-वस्तु की विशेषताएं, विस्तार, दृष्टिकोण आदि के लेखन द्वारा उसका विस्तृत वर्णन किया जाता है। विश्लेषणात्मक लेखन वर्णनात्मक भी हो सकता है।

मूल्यांकन करनेवाला लेखन (Evaluative Writing)

मूल्यांकन के लिए जो लेखन किया जाता है उसका उद्देश्य किसी विषय-वस्तु के लिए निर्णायक भूमिका निभाना होता है। इस लेखन में अन्य सभी प्रकार की लेखन विधियां समाविष्ट होती हैं। उदाहरणस्वरूप यदि किसी सामग्री की जांच करनी हो तो तुलना, विश्लेषण, वर्णन, कालक्रमानुसार वर्णन आदि का उपयोग मूल्यांकन के लिए किए जानेवाले लेखन में होता है।

सारांश लेखन (Summary Writing)

सारांश लेखन में किसी भी घटक का संक्षेप में स्पष्टीकरण किया जाता है। जैसे- रिपोर्ट तैयार करना, अध्ययन द्वारा निष्कर्ष प्राप्त करना आदि। सारांश लेखन में छात्रों को पाठ या कथा का सार लिखने को कहा जाता है। इसी प्रकार किसी विषय वस्तु को प्रस्तावना तथा निष्कर्ष द्वारा उसकी संपूर्ण जानकारी संक्षेप में दी गयी होती है।

❑❑❑

Language Across Curriculum
पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाषा (हिंदी)

Unit - 1 A

* भाषा की संकल्पना

भाषा वह साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर सुनकर लिखकर या पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान-प्रदान करता है। दूसरे के भावों को समझ सके उसे भाषा कहते है। भाषा शब्द की निर्मिती संस्कृत के भाष धातु से हुई है। जिसका अर्थ है बोलना।

* भाषा की परिभाषा

1) रामविलास शर्मा :- 'भाषा मुख से उच्चारित होनेवाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है।'

2) स्वीट :- 'ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है।'

* भाषा के रूप *

1) लिखित भाषा
2) मौखिक भाषा
3) सांकेतिक भाषा

Unit- 1 B

भाषा की विशेषताएँ

1) भाषा एक सामाजिक वस्तु है।
2) भाषा पैतृकगत है।
3) भाषा अनुकरण से सीखी जाती है।
4) भाषा परिवर्तनशील है।
5) भाषा अर्जित संपत्ति है।
6) भाषा यौगिक संपत्ति नहीं है।
7) भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है।
8) भाषा में सीमा बद्धता होती है।
9) भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी है।
10) भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता।

Unit- 1 C

भाषा के कार्य / महत्व

भाषा के बिना मानव पशु के समान है।
भाषा के कारण ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है।

1) सामाजिक संबंध स्थापित करना
2) भाषा मानव विकास का मूल आधार है
3) व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक
4) ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन
5) शैक्षणिक उपलब्धि के लिए आवश्यक
6) भाषा बौद्धिक क्षमता को बढ़ावा देती है।
7) आपसी विचार विनिमय करना
8) दूसरों के विचारों को प्रभावित करना
9) साहित्य, संस्कृति, सभ्यता का विकास करना
10) विचारों भावों की अभिव्यक्ति करना